

मतदान अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिका

(उन मतदान केन्द्रों पर जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रयुक्त की जानी है)

2014

निर्वाचन सदन, अशोका रोड
नई दिल्ली - 110001

विषय - सूची

पैरा सं.

पृष्ठ सं.

1. परिचय
2. मतदान अभिकर्ताओं की भूमिका
3. निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रणाली
4. बैलट यूनिट और कंट्रोल यूनिट
5. मतदान अभिकर्ताओं के मुख्य कर्तव्य
6. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या
7. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति
8. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रतिसंहरण
9. मतदान अभिकर्ताओं के लिए अर्हताएं
10. मतदान पूर्वाभ्यास
11. मतदान केन्द्र पर आगमन
12. मतदान अभिकर्ताओं के लिए सामग्री
13. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्र की प्रस्तुति
14. मतदान अभिकर्ताओं के लिए पास
15. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा बैज लगाया जाना
16. मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था
17. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए व्यवस्थाएं
18. मतदान शुरू होने से पूर्व प्रारंभिक तैयारियां
19. मतदान से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीन सेट करना
20. छदम मतदान संचालित करना
21. कंट्रोल यूनिट में हरे कागजी मुहर लगाना
22. कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड को बंद तथा मुहरबंद करना
23. स्ट्रिप सील:
24. स्ट्रिप सील से वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने का तरीका
25. वास्तविक मतदान के लिए तैयार वोटिंग मशीन
26. कागजी मुहरों का लेखा-जोखा
27. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना
28. मतदान की शुरूआत
29. मतदान केन्द्र में मतदाताओं का प्रवेश
30. निर्वाचनों की पहचान तथा अमिट स्याही का प्रयोग
31. वोटिंग मशीनों द्वारा मतों को दर्ज करने की विधि
32. मतदान केन्द्र पर मतदान क्रियाविधि
33. किसी मतदाता की पहचान को चुनौतियां
34. मृत, अनुपस्थित तथा कथित तौर पर संदिग्ध मतदाताओं की सूची
35. मतदाता की पहचान की औपचारिक चुनौती
36. चुनौती शुल्क
37. किसी चुनौती की संक्षिप्त जांच
38. चुनौती शुल्क वापिस पाना अथवा उससे वंचित रह जाना
39. निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय अथवा मुद्रण त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाना
40. मतदाता की पात्रता जिस पर सवाल नहीं किया जाना है
41. नाबालिग मतदाताओं द्वारा मतदान करने के विरुद्ध एहतियातें
42. परोक्षी के जरिए मतदान:
43. दृष्टिविहीन अथवा अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान
44. निविदत्त मत
45. मतदान न करने का निर्णय लेने वाले निर्वाचक

46. पेपर ट्रेल पर मुद्रित ब्योरे के बारे में शिकायत की स्थिति में क्रियाविधि
47. मतदान की गोपनीयता भंग करना
48. मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी की प्रविष्टि
49. समापन समय में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान
50. मतदान की समाप्ति
51. वोटिंग मशीन तथा निर्वाचन दस्तावेजों को संग्रहण/भंडारण केन्द्र ले लाया जाना
52. पोलिंग एजेंट वोटिंग मशीन को ले जाने वाले वाहनों के साथ
53. दंगा, बूथ कैप्चरिस इत्यादि के लिए मतदान का स्थगन
54. मतदान केन्द्र में अथवा उसके निकट उपद्रवपूर्ण आचरण
55. वोटिंग मशीन को मतदान केन्द्र से हटाना अथवा इसकी सील के साथ छेड़छाड़ करना एक अपराध है
56. वोट मांगने पर रोक

परिशिष्ट- I	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति
परिशिष्ट 1(क)	अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूनों के लिए फार्मेट
परिशिष्ट II	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण
परिशिष्ट III	पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा
परिशिष्ट IV	आक्षेपित मतदाताओं की सूची
परिशिष्ट V	निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्ररूप
परिशिष्ट VI	वर्गीकृत सेवा मतदाताओं तथा परोक्षियों की मतदान केन्द्रवार उप-सूची
परिशिष्ट VII	दृष्टिविहीन अथवा अशक्त निर्वाचक के साथी की घोषणा
परिशिष्ट VIII	दर्ज मतों का लेखा
परिशिष्ट IX	छदम मतदान प्रमाण पत्र

मतदान अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिका

(उन मतदान केन्द्रों पर जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रयुक्त की जाती है)

1. परिचय

किसी अभ्यर्थी के लिए किसी विधान सभा अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होना संभव नहीं है। इसलिए, विधि उसे उनके हितों पर नजर रखने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करने की अनुमति देती है। लोकतांत्रिक निर्वाचन में अभिधारणा है कि प्रत्येक एकल मतदान केन्द्र पर मतदान मुक्त रूप से तथा निष्पक्षतापूर्वक संचालित किया जाता है तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को इस संबंध में संतुष्ट होना चाहिए। यदि मतदान केन्द्रों पर अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मतदान अभिकर्ता अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से तथा कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करेंगे तो इससे न केवल उन अभ्यर्थियों जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि निर्वाचन प्राधिकारियों को भी उन अभिकर्ताओं के पूर्ण सहयोग से मतदान का निर्बाध संचालन करने में सहायता मिलेगी।

2. मतदान अभिकर्ताओं की भूमिका

2.1 मतदान अभिकर्ता मतदान के वास्तविक संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका-अदा करते हैं जो समस्त निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियों का कार्य सहज एवं निर्बाध हो जाएगा यदि मतदान अभिकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन सहयोग की भावना से करेंगे। इस प्रयोजनार्थ उन्हें अपने कार्यों की स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए तथा उनका विधि के अधीन समझदारीपूर्वक निष्पादन करना चाहिए।

2.2 आप जैसे मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता बनने जा रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अतः आपको वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करते हुए निर्वाचनों के संचालन के लिए नवीनतम नियमों तथा विहित क्रियाविधियों से अपने को अवगत कराना चाहिए। आपको वोटिंग मशीनों के प्रचालन से भी अपने को अवश्य ही परिचित कराना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, आपको रिटर्निंग आफिसर द्वारा व्यवस्था की गई वोटिंग मशीनों के प्रदर्शनों में शामिल होना चाहिए जहां इसका कार्यकरण एवं प्रचालन स्पष्ट किया जाएगा।

3. निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रणाली

3.1 सन् 2000 से भारत में निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करते हुए संचालित किए जा रहे हैं। ये वोटिंग मशीन केन्द्र सरकार के दो उपक्रमों नामतः इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा निर्मित किए गए हैं। उन्हें इस प्रकार बनाया गया है कि इस प्रणाली की उन सभी प्रमुख विशिष्टताओं को अक्षुण्ण रखा जा सके जिनके अधीन मत पत्र एवं मतपेटियां प्रयुक्त की गई थी।

3.2 वोटिंग मशीन में दो यूनितें होती हैं, नामतः “कंट्रोल यूनिट तथा बैलटिंग यूनिट”। जब वोटिंग मशीन को प्रचालित किया जाता है तो ये दो यूनितें एक केबल द्वारा अंतरसंबद्ध होती हैं जिसका एक सिरा बैलटिंग यूनिट से स्थायी रूप से जुड़ा होता है। जब मशीन को मतों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। मुक्त सिर को कंट्रोल यूनिट में लगा दिया जाता है

3.3 मशीन 7.5 वोल्ट की क्षारीय बैटरी पर प्रचालित होती है और इसका इस्तेमाल कहीं भी तथा किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। यह छेड़छाड़-रोधी, त्रुटि-रहित तथा प्रचालित करने में आसान है। मशीन की दोनों यूनितें दो पृथक कैरिंग केस में स्पलाई की जाती हैं। मशीन में एक बार दर्ज मतदान संबंधी सूचना को इसकी मेमोरी में तब भी रखा जाता है जब बैटरी हटा दी गई हो।

3.4 मशीन विशेषकर बैलटिंग यूनिट इस प्रकार निर्मित की जाती है कि पराम्परागत मतदान प्रणाली की सभी अनिवार्य विशिष्टताओं को सुरक्षित रखा जा सके। एकमात्र परिवर्तन यह है कि मतदाता को मतदान की परम्परागत प्रणाली के अधीन उसकी पसंद के निर्वाचन-चिन्ह पर या निकट मतपत्र पर लगे हुए तीर के आड़े निशान वाले रबर स्टाम्प के

इस्तेमाल की बजाय उसकी पसंद के अभ्यर्थी के नाम एवं निर्वाचनचिन्ह के सामने लगे नीले बटन को दबाने की आवश्यकता होती है। वोटिंग मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया अत्यंत सरल, अधिक त्वरित तथा त्रुटिरहित होती है। प्रत्येक मत परिशुद्धतापूर्वक दर्ज होता है और कोई मत अमान्य नहीं होता है।

- 3.5 निर्वाचन का संचालन (संशोधन) नियम, 2013 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित ऐसी डिजाइन के ड्राप बॉक्स के साथ प्रिंटर भी मत के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र अथवा निर्वाचन क्षेत्रों अथवा उसके भागों में वोटिंग मशीन में लगाए जा सकते हैं जैसा निर्वाचन आयोग निर्देश दे। इसे वोटर वेरिफाइएबल पेपर आडिट ट्रेल सिस्टम (वी वी पी ए टी) के रूप में संदर्भित किया जाता है। उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में वैलट यूनिट के साथ प्रिंटर रखेगा; प्रिंटर ई वी एम से इस तरीके से जुड़ा होगा जैसा निर्वाचन आयोग निर्देश दे। इस प्रयोजनार्थ मतदान कक्ष को उसी अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे पालिंग बूथ जहां ड्राप बॉक्स के साथ पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर बैलटिंग बटन दबाने के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, के संबंध में, निर्वाचक मुद्रित कागजीपर्ची को 7 सेकंड के लिए देखने में समर्थ होगा जिसमें उस अभ्यर्थी जिसे उसने मत दिया है, की क्रम संख्या, नाम तथा निर्वाचन चिन्ह प्रदर्शित होता है। ऐसी कागजी पर्ची 5 सेकेण्ड तक प्रदर्शित होती रहती है, तत्पश्चात यह कट जाती है और प्रिंटर के साथ संलग्न ड्राप बॉक्स में गिर जाती है।

4. बैलट यूनिट और कंट्रोल यूनिट

- 4.1 **उपर्युक्त में से कोई नहीं (नोटा)** के विकल्प का उपबंध निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए मत न देने के निर्णय की अभिव्यक्ति है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं 2004 के 161 में दिनांक 27 सितम्बर, 2013 के अपने निर्णय में निर्देश दिया कि आयोग को “उपर्युक्त में से कोई नहीं (नोटा)” विकल्प के लिए मतपत्रों/ई वी एम में आवश्यक उपबंध करना चाहिए ताकि जो निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के लिए मत देने की इच्छा नहीं रखते हैं, वे अपने निर्णय की गोपनीयता का उल्लंघन किए बगैर किसी अभ्यर्थी को मत न देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। “उपर्युक्त में से कोई नहीं नोटा” शब्दों के साथ एक पैनल मत पत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के नाम और विवरण वाले पैनल के बाद मुद्रित किया जाएगा। जो निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के लिए मत देने की इच्छा नहीं रखते हैं वे अपने निर्णय की गोपनीयता का उल्लंघन किए बगैर किसी अभ्यर्थी को मत न देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, 12 अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहे हैं तो “उपर्युक्त में से कोई नहीं” शब्द 13वें पैनल पर लिखे जाएंगे और ऐसे 13वें पैनल के सामने बैलट बटन को भी खुला रखा जाएगा।
- 4.2 एक बैलटिंग यूनिट अधिकतम 16 अभ्यर्थियों के लिए कार्य करती है। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 15 हो तो अंतिम पैनल “उपर्युक्त में से कोई नहीं (नोटा) होगा; किन्तु यदि 16 अभ्यर्थी होंगे तो ‘नोटा’के लिए एक अतिरिक्त वैलट रखी जानी होगी। बैलटिंग यूनिट पर निर्वाचन का ब्यौरा, अभ्यर्थियों की क्रम संख्या तथा नाम और उन्हें क्रमशः आंबटित निर्वाचन चिन्ह वाले मत पत्र प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम तथा ‘नोटा’के लिए पैनल के सामने एक नीला बटन होता है जिसे दबाकर मतदाता अपना मत दर्ज कर सकता है। उक्त बटन के साथ, प्रत्येक पैनल के लिए एक लैम्प भी होता है जो उक्त बटन से मत दर्ज होने पर लाल प्रकाश के साथ जलेगा।
- 4.3 तिरसठ अभ्यर्थियों तक की जरूरत पूरी करते हुए संबद्ध चार बैलटिंग यूनिट तथा नोटा के लिए एक पैनल का इस्तेमाल एक कंट्रोल यूनिट के साथ किया जा सकता है। मशीन में दर्ज विभिन्न सूचनाएं तथा आकड़े कंट्रोल यूनिट के सबसे ऊपर प्रदर्शित करने की व्यवस्था है जैसे कि निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या, कुल मतों की संख्या, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा डाले गए मत इत्यादि। सुलभ संदर्भ हेतु इस भाग को कंट्रोल यूनिट का ‘डिस्पले सेक्शन’ कहा जाता है। बैटरी लगाने के लिए एक कक्ष होता है जिसमें मशीन डिस्पले सेक्शन के नीचे चलती है। इस कक्ष के बगल में एक पैनल होता है। जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या हेतु मशीन सेट करने के लिए एक बटन और नोटा के लिए एक पैनल होता है। इन दो कक्षों वाली कंट्रोल यूनिट के इस खंड को “कैंड सेट सेक्शन” कहा जाता है। कैंड सेट सेक्शन के नीचे कंट्रोल यूनिट का ‘रिजल्ट सेक्शन’ होता है। इस खंड में (i) मतदान बंद करने के लिए प्रयुक्त क्लोज बटन (ii) पूर्व-2006 ई वी एम में परिणामों का पता लगाने के लिए दो परिणाम । तथा परिणाम ॥ बटन होते हैं। 2006 के बाद की ई वी एम में दो बटन होते हैं नामतः ‘परिणाम’ और ‘मुद्रण’ तथा (iii) जब अपेक्षित न हो तो मशीन में दर्ज आंकड़ों को हटाने के लिए ‘क्लियर’ बटन होता है। कंट्रोल यूनिट के सबसे निचले भाग में, दो बटन होते हैं, एक निशान लगा ‘बटन’ जिसे दबाकर बैलटिंग यूनिट मत दर्ज करने के लिए तैयार हो जाती है तथा दूसरा “कुल” निशान लगा बटन जिसे दबाकर उस चरण तक दर्ज कुल मतों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। कृपया नोट कर लें कि ‘कुल’ बटन दबाने से डिस्पले केवल कुल मतों को निर्दिष्ट करता है, न कि अभ्यर्थीवार संख्या। इस खंड को कंट्रोल यूनिट का “वैलट सेक्शन” के रूप में जाना जाता है।

5. मतदान अभिकर्ताओं के मुख्य कर्तव्य

मतदान अभिकर्ताओं के मुख्य कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन अभ्यर्थियों ने उन्हें नियुक्त किया है, उनके हितों की मतदान केन्द्रों में रक्षा की जा सके। उनके अन्य कर्तव्य हैं:-

(क) छद्म मतदान में भाग लेना तथा अपने आप को संतुष्ट करना कि ई वी एम समुचित कार्यात्मक स्थिति में है,

(ख) पीठासीन अधिकारियों को उन व्यक्तियों को चुनौती देकर जिनकी वास्तविक निर्वाचक के रूप में पहचान संदेहास्पद हो, मतदाताओं के छद्मरूपण का पता लगाने और उसे रोकने में सहायता करना

(ग) वोटिंग मशीन को मतदान से पूर्व, उसके दौरान तथा उसके पश्चात नियमानुसार समुचित रूप से सुरक्षित एवं सीलबंद रखने में सहायता करना,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन अभिलेख विधि द्वारा यथा अपेक्षित मतदान की समाप्ति के बाद समुचित रूप से सुरक्षित एवं सीलबंद हो, तथा

(ङ.) यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र में प्रयुक्त की जा रही कंट्रोल यूनिट, वैलट यूनिट तथा ई वी एम के ड्राप बॉक्स वाले प्रिंटर रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुरूप हैं।

6. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या

निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी एक मतदान अभिकर्ता तथा मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने हेतु दो एवजी अभिकर्ताओं को प्रत्येक मतदान केन्द्र में नियुक्त करने का पात्र है। तथापि, मतदान केन्द्र के भीतर एक बार में उनमें से एक ही मौजूद रह सकता है। वे एक दूसरे को समय-समय पर कार्यभार मुक्त कर सकते हैं। जब मतदान अभिकर्ता बाहर जाता हो तो एवजी अभिकर्ता उसका स्थान ले सकता है। तीन में से जो भी मतदान केन्द्र के भीतर होता है को तत्समय अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में समझा जाता है। उसके अधिकार एवं जिम्मेवारियां वही होती हैं जो विधि द्वारा मतदान अभिकर्ता को दी गई हों। तथापि, किसी भी मतदान अभिकर्ता को 3 बजे अपराहन के बाद मतदान केन्द्र से बाहर जाने अथवा उसके एवजी अभिकर्ताओं द्वारा उसे स्थानापन्न किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

7.1 किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति या तो अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ही अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है और किसी अन्य द्वारा नहीं। नियुक्ति विहित प्ररूप (परिशिष्ट 1) में नियुक्ति-पत्र द्वारा की जानी होती है और उसे नियुक्ति करने वाले व्यक्ति अर्थात् अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना होता है। मतदान अभिकर्ता नियुक्ति-पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी नियुक्ति को औपचारिक रूप से स्वीकार करता है। यदि संभव हो तो मतदान अभिकर्ता को अपने नियुक्ति-पत्र पर अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना चाहिए। ऐसा नियुक्त पत्र मतदान केन्द्र में मूल रूप में प्रस्तुत करने हेतु मतदान अभिकर्ता को सौंपा जाएगा ताकि पीठासीन अधिकारी उसे मतदान केन्द्र में प्रवेश करने दे। मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में पुनः हस्ताक्षर करना होगा।

7.2 यदि कोई अभ्यर्थी तथा/अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता फार्मेट (परिशिष्ट-1 क) पर नमूना हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तो पीठासीन अधिकारी उसके द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं के प्ररूप 10 में नियुक्ति पत्र पर विचार नहीं कर सकता है जहां पीठासीन अधिकारी को अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जिसका नमूना हस्ताक्षर विहित फार्मेट में उपलब्ध नहीं है (परिशिष्ट-1 क) के हस्ताक्षर की असलियत के संबंध में उचित संदेह होता हो।

7.3 यदि किसी निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति में अंतिम समय में तब परिवर्तन किया जाता है जब पीठासीन अधिकारियों को उस फार्मेट की प्रतिलिपि की आपूर्ति पहले ही कर दी गई हो जिसमें निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप में यथा प्रस्तुत नमूना हस्ताक्षर हो (परिशिष्ट-1 क) तो संबंधित अभ्यर्थी की यह जिम्मेवारी होगी कि वह निर्वाचन अभिकर्ता की

नियुक्ति को रद्द करते हुए प्ररूप की प्रतिलिपि तथा नए निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति करते हुए प्ररूप 8 की प्रतिलिपि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करे।

- 7.4 मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई समय-सीमा नहीं है। तथापि, वांछनीय है कि उन्हें पर्याप्त पहले अर्थात् मतदान की तारीख से करीब 10 दिन पूर्व नियुक्त किया जाए ताकि वे डाक मत पत्रों के लिए आवेदन करने की स्थिति में हों यदि वे निर्वाचन में डाक मत के जरिए मतदान करने के पात्र हों।

8. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

- 8.1 अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण भी कर सकता है। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा विहित प्ररूप (परिशिष्ट 11) में किया जाता है।

- 8.2 यदि किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है अथवा यदि मतदान अभिकर्ता की मतदान की समाप्ति से पूर्व मृत्यु हो जाती हो तो अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता मतदान की समाप्ति से पूर्व किसी समय अन्य मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है।

9. मतदान अभिकर्ताओं के लिए अर्हताएं

- 9.1 विधि में किसी व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने के लिए अर्हता विहित नहीं की गई है। तथापि, यह अभ्यर्थी के हित में होगा यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उसके मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए वयस्क तथा परिपक्व हो ताकि उसके हितों की समुचित रूप से देखभाल की जा सके। स्थानीय व्यक्ति कई निर्वाचनों को व्यक्तिगत रूप से जानता होगा तथा निर्वाचन में छद्मरूपधारण को रोकने में सहायक हो सकेगा। अतः मतदान अभिकर्ताएं संबंधित मतदान क्षेत्रों अथवा पास-पड़ोस के मतदान केन्द्र का मामूली निवासी तथा निर्वाचक होंगे। मतदान अभिकर्ता के पास ई पी आई सी या ई आर ओ/बी एल ओ द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची अथवा आयोग द्वारा विहित कोई वैकल्पिक पहचान-पत्र हो। जब कभी कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट किसी मतदान अभिकर्ता को अपनी पहचान प्रकट करने के लिए कहता हो तो ई पी आई सी अथवा फोटो मतदाता पर्ची या आयोग द्वारा विहित कोई वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- 9.2 सरकारी सेवा का कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134-क)। यदि वह ऐसा करता हो तो उसे एक अवधि का कारावास जिसे 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

- 9.3 सरकार का कोई मंत्री अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे राज्य के खर्च पर सुरक्षा कवर दिया जाता हो, को मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि उसे न तो अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदान स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, न ही उसे सुरक्षा कवर के बगैर ही मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति दे कर उसकी सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है। मंत्रियों अथवा राजनीतिक ओहदेदारों के साथ रहनेवाले सुरक्षाकर्मियों को मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे मतदान केन्द्र के द्वार पर प्रतीक्षारत रह सकते हैं किन्तु वे इस अवधि के दौरान मतदाताओं की पहचान नहीं करेंगे अथवा उनकी ई पी आई सी अथवा पहचान के अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों की जांच नहीं करेंगे।

10. मतदान पूर्वाभ्यास

- 10.1 आपको निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले उतने मतदान पूर्वाभ्यासों में शामिल होना चाहिए जितना आप कर सकते हैं ताकि आप मतदान केन्द्र पर अनुपालन की जाने वाली क्रियाविधि से अपने आप को अवगत कर सके तथा वोटिंग मशीन और अन्य निर्वाचन अभिलेखों को सीलबंद करने तथा सुरक्षित रखने की सही विधि सीख सकें।

11. मतदान केन्द्र पर आगमन

- 11.1 आपको सामान्यतः मतदान शुरू होने के लिए नियत समय से कम-से-कम एक घंटा पूर्व मतदान केन्द्र पहुँचना चाहिए। यह आपको उस समय उपस्थित रहने में सहायता करने के लिए है जब पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान प्रक्रिया

शुरू होने से पूर्व छदम मतदान सहित प्रारंभिक तैयारियों का जायजा लेता हो। यदि कोई मतदान अभिकर्ता देरी से पहुँचता हो और इन प्रारंभिक तैयारियों में से कोई भाग का उस समय तक पहले ही जायजा ले लिया गया हो तो पीठासीन अधिकारी देर से आने वाले को समायोजित करने के लिए नए सिरे से कार्यवाही शुरू नहीं करेगा।

- 11.2 विधि में किसी मतदान अभिकर्ता के आगमन के लिए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है और यदि वह मतदान केन्द्र पर देर से भी आएगा तो उसे मतदान केन्द्र पर आगे की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।

12. मतदान अभिकर्ताओं के लिए सामग्री

- 12.1 जब आप मतदान केन्द्र आएँ तो आपको निम्नलिखित सामग्री के साथ सज्जित होना चाहिए:-

- (क) आपका नियुक्ति-पत्र:-
- (ख) सभी अनुपूरकों (यदि कोई हो) के साथ मतदान केन्द्र के लिए नवीनतम निर्वाचक नामावली की प्रति
- (ग) एक छोटी पीतल की मुहर जिसे आप बैलटिंग यूनिट (यूनिटों के कैरिंग केस (केसों) पर उन्हें मतगणना/संग्रहण केन्द्र ले जाए जाने से पूर्व अपनी मुहर लगाने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं; तथा
- (घ) पेन, कागज पेंसिल
- (ङ.) मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किए जाने वाली ई वी एम की कंट्रोल एवं बैलट यूनिटों का ब्योरा, जैसा कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा व्यवस्था की गई हो।

- 12.2 आपको निर्वाचक नामावली की प्रतिलिपि को मतदान केन्द्र के भीतर ले जाने और जब कभी मतदाता अपना मत डालता है तो उसमें चिह्न लगाने की अनुमति है। तथापि, स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में आपको अथवा आपके एवजी अभिकर्ता को मतदान के दौरान तथा मतदान समाप्त होने तक आपके पास उपलब्ध निर्वाचक नामावली को मतदान केन्द्र से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अभिकर्ता को किसी भी स्थिति में मतदाताओं जिन्होंने मतदान कर दिया हो अथवा नहीं किया हो, की क्रम संख्या दर्शाने वाली पर्चियों को बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

13. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्र की प्रस्तुति

- 13.1 प्रत्येक मतदान अभिकर्ता से सभी प्रकारों से पूर्ण तथा अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जिसने उसे नियुक्त किया हो, द्वारा हस्ताक्षित नियुक्ति पत्र को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है तथा उसके बाद पीठासीन अधिकारी उसे दस्तावेज पूरा करने और वहाँ घोषणा-पत्र पर उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करने के लिए कहेगा। तब पीठासीन अधिकारी नियुक्ति पत्र को अपने साथ रखेगा और आपको मतदान केन्द्र में प्रवेश करने देगा।

14. मतदान अभिकर्ताओं के लिए पास

- 14.1 मतदान अभिकर्ता जिसे मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया गया हो, को पीठासीन अधिकारी द्वारा एक पास दिया जाएगा जिसके प्राधिकार पर वह जब भी आवश्यक हो, मतदान केन्द्र के भीतर तथा बाहर जा सकेगा।

15. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा बैज लगाया जाना

- 15.1 मतदान के भीतर अथवा उससे 100 मी तक, आपको ऐसा कोई बैज नहीं लगाना चाहिए जिसपर किसी दल के नेता की फोटो हो अथवा किसी दल का झंडा अथवा निर्वाचन-चिह्न हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका कृत्य निर्वाचकों के मतों की अनुयाचना करना अथवा याचना करना अथवा निर्वाचन (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130) से संबंधित किसी नोटिस या संकेत को प्रदर्शित करने वाला (सरकारी नोटिस को छोड़कर) निर्वाचन संबंधी अपराध बन जाएगा। उपर्युक्त अपराध संज्ञेय है और इसके लिए जुर्माना जिसे 250 तक बढ़ाया जा सकता है, की सजा दी जा सकती है।

- 15.2 तथापि, यदि आपकी इच्छा हो तो आप एक छोटा बैज लगा सकते हैं जिसपर अभ्यर्थी का नाम प्रदर्शित हो जिसके लिए आप मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं।

15.3 मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि जिसे “मतदान केन्द्र के पास-पड़ोस”के रूप में वर्णित किया जाता है तथा मतदान बूथ के भीतर सेल्युलर फोन, कोर्ड लेस फोन, वायरलेस सेट इत्यादि ले जाने अथवा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाती है। प्रेक्षक/सूक्ष्म प्रेक्षक, पीठासीन अधिकारी, सेक्टर आफिसर सुरक्षाकर्मी को अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

16. मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था

16.1 पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं को ऐसे स्थानों पर सीटें प्रदान करने की व्यवस्था करेगा जहां से उन्हें निर्वाचकों को पहचानने तथा समग्र प्रक्रिया विशेषकर उस मेज जहां वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट रखी जाएगी, पीठासीन अधिकारी की मेज से मतदान कक्ष (जहां वोटिंग मशीन की बैलटिंग यूनिट रखी जाएगी) तक निर्वाचन की गतिविधि तथा मतदान कक्ष के भीतर अपना मत दर्ज करने के बाद निर्वाचक के जाने का प्रेक्षण करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

16.2 आयोग के अनुदेशों के अनुसार मतदान केन्द्र के भीतर विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता द्वारा अभिशासित की जाएगी:-

- (i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी;
- (ii) मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी;
- (iii) अन्य राज्यों के मान्यताप्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों जिन्हें निर्वाचन-क्षेत्र में अपने आरक्षित निर्वाचन-चिन्हों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई हो;
- (iv) पंजीकृत-अपंजीकृत दलों के अभ्यर्थी तथा
- (v) निर्दलीय अभ्यर्थी

16.3 आपको दी गई सीटों पर होना चाहिए और मतदान केन्द्र के भीतर अनावश्यक रूप से इधर-उधर घूमना नहीं चाहिए।

16.4 मतदान केन्द्र के भीतर धूम्रपान निषिद्ध है। यदि किसी मतदान अभिकर्ता की इच्छा धूम्रपान करने की हो तो उसे मतदान में किसी तरह का बाधा डाले बगैर मतदान केन्द्र से बाहर चला जाना चाहिए।

17. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए व्यवस्थाएं

17.1 भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा से लेकर मतदान प्रक्रिया की समाप्ति होने तक निर्वाचन प्रबंधन के लिए प्रत्येक 10-12 मतदान केन्द्रों के लिए सेक्टर आफिसर की नियुक्ति की प्रणाली शुरू की है। उन्हें मतदान के दिन से 7 दिन पूर्व जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा और उनके पास विशेष कार्यपालक दण्डनायक की शक्तियां होंगी और उनके साथ पुलिस अधिकारी होंगे। सेक्टर आफिसर उन्हें आबंटित मतदान केन्द्र का बारंबार दौरा करेगा ताकि उनका निर्बाध कार्यकरण सुकर हो सके।

17.2 **मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश कराए जाने वाले व्यक्तियों** पर विधिक प्रतिबंध है। जिन व्यक्तियों को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रवेश कराया जाता है, वे हैं:-

- (क) निर्वाचक;
- (ख) मतदान अधिकारी
- (ग) प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का एक बार में एक मतदान अभिकर्ता;
- (घ) आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति
- (ङ.) ड्यूटी पर सरकारी सेवक
- (च) निर्वाचक के साथ बाहों में शिशु
- (छ) किसी दृष्टिविहीन अथवा अशक्त मतदाता जो बिना सहायता के चल-फिर नहीं सकता अथवा मतदान नहीं कर सकता है, के साथ चलने वाला व्यक्ति; तथा
- (ज) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की पहचान करने के लिए अथवा मतदान करने में उसे सहयोग देने के लिए प्रवेश की अनुमति दे।

- 17.3 आयोग ने **जोखिम वाले मतदान केन्द्रों** के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार किए हैं। मतदान की अवस्थितियों, अर्द्ध-सैनिक बल, सूक्ष्म-प्रेक्षकों की उपलब्धता के आधार पर आयोग ने निर्देश दिया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से एक प्रयुक्त किया जाए:

(i) मतदान केन्द्र पर विडियोग्राफी

आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की तथा अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर भी यथा संभव विडियोग्राफी के लिए अनुदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित ध्यान रखा जाएगा कि विडियोग्राफी करते समय उससे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो। तथापि, मतदान केन्द्र के भीतर मीडिया के लोगों अथवा किसी अन्य अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा फोटोग्राफी/विडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि सामान्य व्यवस्था तथा मतदान की गोपनीयता बरकरार रह सके। निर्वाचन प्रक्रिया के सभी अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की विडियोग्राफी की जानी जारी रहेगी।

(ii) केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल (सी पी एम एफ)

संवेदनशील मतदान केन्द्र में सी पी एम एफ की तैनाती मतदाताओं में विश्वास निर्माण के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं में से एक है।

(iii) मतदान केन्द्र में क्रियाविधि की **वेबकास्टिंग** भी महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रों में एक अन्य व्यवस्था है।

(iv) सूक्ष्म-प्रेक्षक की नियुक्ति:

प्रेक्षकों की स्वच्छंद, स्वतंत्र, एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रेक्षण की प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आयोग ने जानबूझकर जहाँ की आवश्यक हो, सूक्ष्म प्रेक्षक को तैनात करने का निर्णय लिया है। ये सूक्ष्म-प्रेक्षक महा प्रेक्षक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक में प्रत्यक्ष तथा कार्य करेंगे।

18. मतदान शुरू होने से पूर्व प्रारंभिक तैयारियां

- 18.1 मतदान शुरू होने के लिए नियत समय से करीब एक घंटा पूर्व, पीठासीन अधिकारी मतदान के संचालन के लिए प्रारंभिक तैयारियों का जायजा लेना शुरू करेगा।

18.2 पीठासीन अधिकारी-

(क) मतदान अभिकर्ताओं तथा उपस्थित अन्य व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करेगा कि मतदान के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वोटिंग मशीन खाली है और उसमें पहले से कोई मत दर्ज नहीं है (मामलों में जहां वीवी पी ए टी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, वहां प्रिंटर से जुड़े ड्राप बॉक्स को भी मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित किया जाता अपेक्षित है)

(ख) मतदान अभिकर्ताओं को यह संतुष्ट करने के लिए कि वोटिंग मशीन सही तरीके से कार्य कर रही है, छदम मतदान संचालित करना;

(ग) ऐसे छदम मतदान में दर्ज मतों को वोटिंग मशीन तथा प्रिंटर और ड्राप बॉक्स (जहां वी वी पी ए टी प्रयुक्त किया जाता है) से हटाना ताकि छदम मतदान से संबंधित कोई डाटा मशीन की मेमोरी में न रहे।

(घ) छदम मतदान का प्रमाण-पत्र तैयार करना तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना;

(ङ.) कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के भीतरी कक्ष के भीतरी दरवाजे पर हरा कागजी मुहर लगाने के लिए रखे गए ढांचे में हरा कागजी मुहर लगाना;

(च) कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के भीतरी दरवाजे को धागे से बंद करना तथा इसे “विशेष टैग” से मुहरबंद करना। ड्रापबॉक्स वाले प्रिंटर को भी “पते का टैग” लगाकर मुहरबंद किया जाएगा”।

(छ) कंट्रोल यूनिट के उस (परिणाम) खंड के बाहरी आवरण को धागे से बंद करना तथा इसे “पते के टैग” से मुहरबंद करना;

- (ज) परिणाम खंड को सुरक्षित रखना तथा “स्ट्रिप सील” से बाहर से मुहरबंद करना;
- (झ) मतदान अभिकर्ताओं तथा उपस्थित अन्य व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करना कि निर्वाचक नामावली की निशान लगी प्रति (निर्वाचक जिन्हें मतदान करने की अनुमति दी गई हो, के नामों पर “निशान” लगाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली निर्वाचक नामावली की प्रति) पर डाकमत पत्रों तथा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्रों को जारी करने के लिए प्रयुक्त टिप्पणियों के अलावा कोई टिप्पणी निहित न हो तथा यह कि परिशिष्ट में प्रदर्शित विलोपन, यदि कोई हो, प्रारूप नामावली में तथा स्टाइकथ्रू विधि द्वारा पुनः मुद्रित मूल नामावली में अन्तिम प्रकाशन प्रतिबिम्बित होने से पूर्व दावों तथा आक्षेपों के निपटान के बाद तैयार परिशिष्ट में लगा हो तो फोटो निर्वाचन नामावली के मामले में **विलुप्त किया गया** शब्द संबंधित निर्वाचक के डिटेल् बाक्स के ऊपर होगा;
(निर्वाचक नामावली किसी एक ए ई आर ओ तथा एक और अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा) तथा
- (ट) मतदान अभिकर्ताओं तथा उपस्थित अन्य व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करेगा कि मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में निर्वाचक के संबंध में पहले से कोई प्रविष्टि नहीं है।

19. मतदान से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीन सेट किया जाना

- 19.1 वोटिंग मशीन को मतदान केन्द्र पर वास्तविक प्रयोग में लाने से पूर्व रिटर्निंग आफिसर के स्तर से की गई तैयारियों के अलावा कुछ तैयारियां अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में आवश्यक हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान शुरू होने के लिए नियत समय से करीब एक घंटा पूर्व तैयारियां शुरू करेगा। यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित न हो तो पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयारियां उसकी प्रतीक्षा करने के लिए स्थगित नहीं की जाएगी। यदि कोई मतदान अभिकर्ता देरी से आता है तो भी पीठासीन अधिकारी पुनः तैयारियां शुरू नहीं करेगा।

बैलटिंग यूनिट सेट करना

- 19.2 बैलटिंग यूनिट रिटर्निंग आफिसर के स्तर पर सभी प्रकार से पहले से ही सम्यक रूप में तैयार की जाती है और मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर इस यूनिट पर कोई आगे की तैयारी अपेक्षित नहीं होती है सिवाय इस संबंध में कि जब इसके इंटर-कनेक्टिंग केबल को कंट्रोल यूनिट में डाला जाना हो।
- 19.3 जहां मतदान स्टेशन पर एक से अधिक बैलटिंग यूनिट प्रयुक्त की जानी हो तो उन्हें सही क्रम में अंतर-संबद्ध किया जाना होता है। ऐसे मामले में, केवल प्रथम बैलटिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाएगा। मतदान अभिकर्ताएं अपने-आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी ने कंट्रोल यूनिट को बैलटिंग यूनिट के साथ सही तरीके से संयोजित किया है। यदि ऐसे अंतर-संयोजन में कोई त्रुटि होगी तो इसे तत्काल देख लिया जाएगा क्योंकि कंट्रोल यूनिट में डिस्पले पैनल ‘एल ई’ अर्थात् लिंकिंग एरर शब्द प्रदर्शित करेगा।
- 19.4 मतदान अभिकर्ताओं को यह भी जांचना एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि
- मतपत्र मतपत्र स्क्रीन के नीचे बैलट डिस्पले पैनल पर समुचित रूप से लगा हो;
 - बैलटिंग यूनिट की दाहिनी ओर शीर्ष तथा तल भाग पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा लगाए गए दो सील सुरक्षित हैं;
 - बैलटिंग-यूनिट पर स्लाइड स्विच को पारदर्शी टेप की सहायता से सुरक्षित कर दिया गया है।
 - बैलट यूनिट को सुरक्षित रखने के लिए गुलाबी कागजी मुहर प्रयुक्त की गई है।

कंट्रोल यूनिट संबंधी तैयारियां

- 19.5 आपको पहले जांच करने की अनुमति दी जाएगी कि कंट्रोल यूनिट की बायीं ओर कैंडिडेट सेट सेक्शन पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा लगाई गई मुहर सुरक्षित है।
- 19.6 पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट के संबंध में की गई तैयारियां निम्नलिखित हैं:-
- कंट्रोल यूनिट को बैलटिंग यूनिट अथवा प्रथम बैलटिंग यूनिट के साथ अंतर-संयोजित करना जहां एक से अधिक बैलटिंग यूनिट प्रयुक्त की जाती हों;
 - पावर स्विच को ‘आन’ स्थिति पर रखना;
 - ऊपर (i) तथा (ii) पर कार्य निष्पादित करने के बाद पिछले कक्ष को बंद करना;
 - छदम मतदान संचालित करना (जैसा कि पैरा 20.1 से 20.3 में उल्लिखित है);

- (v) छदम मतदान के बाद मशीन को क्लियर कर देना तथा सभी गणनाओं को शून्य पर सेट करना (जैसा पैरा 18.2 (ग) में उल्लिखित है);
 - (vi) पावर स्विच को “आफ” स्थिति में रखना;
 - (vii) हरे कागजी मुहर को परिणाम खंड के भीतर कक्ष को सुरक्षित रखने के लिए लगाना (जैसा कि पैरा 21 में उल्लिखित है);
 - (viii) विशेष टैग लगा कर परिणाम कक्ष के भीतरी दरवाजे को बंद एवं मुहर बंद करना; (जैसा कि पैरे 22.1 से 22.43 में उल्लिखित है) तथा
 - (ix) पते के टैग तथा स्ट्रिप सील से परिणाम खंड के बाहरी आवरण को बंद एवं मुहरबंद करना (जैसा कि उपर्युक्त पैर 22.4 से 22.9 तथा 23 में उल्लिखित है)
- 19.7 जब कंट्रोल यूनिट पर पावर स्विच ‘आन’स्थिति पर सेट किया जाएगा तो “बीप” की आवाज आएगी तथा कंट्रोल यूनिट के डिस्पले सेक्शन पर “आन” लैम्प हरे प्रकाश के साथ प्रज्वलित होगा।

19.8 पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् पिछले कक्ष को बंद करेगा। इसे दृढ़तापूर्वक बंद रखने के लिए एक पतले तार या मोटे धागे के टुकड़े को इस प्रयोजनार्थ लगे दो छिद्रों में से होकर गुजारा जा सकता है तथा तार के सिरों पर यथास्थिति, कुछ गांठ अथवा गिरह लगाए जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कक्ष को सीलबंद नहीं किया जाना है क्योंकि इसे पावर को स्विच आफ करने तथा बैलटिंग यूनिट को विच्छेदित करने के लिए मतदान की समाप्ति के बाद पुनः खोले जाने की आवश्यकता होगी।

ड्रापबॉक्स वाले प्रिंटर की तैयारियां

19.9 जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता हो वहां प्रिंटर को मत पत्र को सम्यक रूप से लोड करते हुए रिटर्निंग आफिसर द्वारा कंट्रोल यूनिट में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सेट की गई संख्या के अनुसार सेट किया जाएगा। मतदान सामग्री के साथ वोटिंग मशीन की सुर्पुदगी लेते समय पीठासीन अधिकारी ड्राप बॉक्स वाले प्रिंटर की क्रम संख्या की जांच कर चुका होगा। उसे बैलटिंग यूनिट में यथानिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की क्रम संख्याओं तथा नामों एवं उन्हें आबंटित निर्वाचन चिन्ह क्रम संख्याओं की जांच कर लेनी चाहिए और इस बात का सत्यापन करना चाहिए कि प्रिंटर में पर्याप्त मात्रा में कागज डाला गया है अथवा नहीं। जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाएगा, वहां मतदान कक्ष में बैलटिंग यूनिट के साथ प्रिंटर भी रखा जाएगा तथा इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इस तरह से जोड़ा जाएगा जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो। मत डालते समय निर्वाचक प्रिंटर की पारदर्शी खिड़की के जरिए कागज की पर्ची देख सकेगा जिसपर ऐसे अभ्यर्थी जिसके लिए उसने मतदान किया हो, की क्रम संख्या, नाम तथा निर्वाचन चिन्ह ऐसी पर्चियों के कटकर प्रिंटर के ड्राप बॉक्स में गिरने से पूर्व प्रदर्शित होते हों।

20. छदम मतदान संचालित करना

20.1 मतदान शुरू होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी को न केवल खुद को वरन मतदान केन्द्र पर उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं को यह संतुष्ट करना होता है कि वोटिंग मशीन पूर्ण कार्यात्मक स्थिति में है और मशीन में कोई मत पहले से दर्ज नहीं किया गया है। ऐसी संतुष्टि के लिए वह सभी उपस्थित व्यक्तियों को प्रदर्शित करेगा कि “क्लियर”बटन दबाकर सभी गणनाएं “शून्य”पर सेट कर दी गई हैं। “क्लियर”बटन कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के कक्ष में लगा होता है। यह कक्ष एक भीतरी दरवाजे और बाहरी आवरण द्वारा कवर होता है। भीतर दरवाजे में वे कक्ष कवर होते हैं जिनमें प्री 2006 ई वी एम “क्लियर”बटन, परिणाम। बटन तथा परिणाम।। बटन निहित होते हैं तथा “परिणाम” और “प्रिंट” भी “क्लियर” बटन वाले उसी चैम्बर में लगा होता है। इसके समीप “क्लोज” बटन एक अन्य चैम्बर में उपलब्ध होता है। “क्लोज” बटन वाले चैम्बर को तब कवर किया जाता है जब परिणाम खंड का अन्य कवर बंद हो। बाहरी कवर भीतरी कवर के ऊपर लगा होता है तथा यह “क्लोज”बटन वाले कक्ष को कवर करता है। “क्लियर” बटन तक पहुँचने के लिए वह पहले बायीं ओर थोड़े भीतर की ओर लगी कुंडी को दबाकर पहले बाहरी कवर को खोलेगा। तत्पश्चात्, भीतरी दरवाजे को अंगूठे तथा अंगुली को परिणाम। तथा परिणाम।। बटनों के ऊपर दो छिद्रों के जरिए डालकर और उसके बाद कुंडियों को थोड़े भीतर की ओर साथ-साथ दबाकर खोला जा सकता है। इस भीतरी दरवाजे को ऊपर वर्णित तरीके से कुंडी हटाए बगैर किसी भी स्थिति में लगाकर खोला नहीं जाना चाहिए अन्यथा यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कक्ष क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जब “क्लियर”बटन दबाया जाएगा तो कंट्रोल यूनिट पर डिस्पले पैनल निम्नलिखित सूचना को क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित करना शुरू करेगा (प्रत्येक निर्देश के बाद “बीप”की आवाज आती है)

नोट: यदि “क्लियर”बटन दबाने पर डिस्पले पैनल पर ऊपर यथानिर्दिष्ट सूचना प्रदर्शित नहीं होती हो तो इसका अर्थ है कि मशीन को क्लियर करने के लिए आवश्यक कुछ पूर्ववर्ती प्रचालन निष्पादित नहीं किए गए हैं। मशीन को क्लियर करने के लिए पीठासीन अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि मशीन यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट सही तरीके से जुडी

हैं। उसे तत्पश्चात् 'क्लोज'बटन दबाना चाहिए और उसके बाद परिणाम। बटन दबाना चाहिए। अब जबकि वह 'क्लियर'बटन दबाएगा तो डिस्पले पैनल से सूचना प्रदर्शित होनी शुरू हो जाएगी। डिस्पले पैनलों पर सूचना प्रदर्शित होने से यह समाधान हो जाएगा कि मशीन में कोई मत पहले से दर्ज नहीं है।

20.2 उपर्युक्त अनुसार यह प्रदर्शित करने के बाद कि मशीन में कोई मत पहले से दर्ज नहीं है, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 मत यादृच्छिक रूप से दर्ज करके एक छदम मतदान का संचालन करेगा। उस प्रयोजनार्थ, वह निम्नलिखित प्रक्रियाओं का निष्पादन करेगा:-

(क) वह कंट्रोल यूनिट के वैलट सेक्शन पर 'वैलट'बटन दबाएगा। वैलट बटन दबाने पर डिस्पले सेक्शन में 'बिजी'लैम्प लाल रंग के साथ प्रज्वलित होगा। उसी समय, बैलटिंग यूनिट पर 'रेडी'लैम्प भी हरे प्रकाश के साथ प्रज्वलित होगा।

(ख) उसके बाद वह किसी मतदान अभिकर्ता को बैलटिंग यूनिट पर उसकी पसंद के अनुसार किसी अभ्यर्थी के नीले बटन को दबाने के लिए कहेगा। यह सुनिश्चित किया जाना होता है कि प्रत्येक नीले बटन (आवरणरहित) को समान समय तक दबाया जाए ताकि आवरणरहित बचे प्रत्येक बटन की जांच की जाए तथा उन्हें समुचित रूप से कार्य करता हुआ पाया जाए।

(ग) इस प्रकार दबाए जा रहे अभ्यर्थी के नीले बटन पर बैलटिंग यूनिट पर 'रेडी'लैम्प बंद हो जाएगा और बटन के निकट अभ्यर्थी का लैम्प लाल रंग के साथ प्रज्वलित होने लगेगा। साथ ही, कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज निकलती हुई सुनाई देगी। कुछ सेकंड के बाद, अभ्यर्थी के लैम्प में लाल लाइट, 'बिजी'लैम्प में लाल लाइट तथा बीप की आवाज बंद हो जाएगी। यह इस बात का संकेत होगा कि अभ्यर्थी जिसके नीले बटन को दबाया गया है, के लिए मत कंट्रोल यूनिट में दर्ज कर लिया गया है और यह कि मशीन अगला मत डालने के लिए तैयार है।

(घ) यह प्रक्रिया जैसा कि पूर्ववर्ती पैरों (क) (ख) तथा (ग) में स्पष्ट किया गया है, प्रत्येक शेष अभ्यर्थी के लिए एक अथवा अनेक, मतों को दर्ज करने के लिए दोहराई जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में इस प्रकार दर्ज मतों का ध्यानपूर्वक लेखा रखा जाना होता है।

(ङ) जब मत इस प्रकार दर्ज किए जा रहे हों तो पीठासीन अधिकारी किसी समय यह सत्यापित करने के लिए कंट्रोल यूनिट के वैलट सेक्शन पर 'कुल'बटन दबा सकता है ताकि मशीन में दर्ज कुल मत उस चरण तक डाले गए मतों की संख्या के साथ मेल खाते हों।

नोट: 'कुल'बटन किसी अभ्यर्थी के लिए मत दर्ज किए जाने तथा डिस्पले सेक्शन पर 'बिजी'लैम्प 'आफ'होने के बाद ही दबाया जाना चाहिए। यदि वी वी पी ए टी प्रणाली भी प्रयुक्त की जाएगी तो प्रत्येक की जाएगी तो प्रत्येक मत के साथ प्रिंटर पर कागज की पर्चियां भी मुद्रित हो जाएंगी।

(च) छदम मतदान के अंत में जब पीठासीन अधिकारी परिणाम सेक्शन में 'क्लोज'बटन दबाएगा तो डिस्पले सेक्शन में डिस्पले पैनल इस सूचना को क्रमिक रूप से दर्शाएगा।

(छ) परिणाम सेक्शन में 'परिणाम'अंकित बटन को दबाने पर अब डिस्पले पैनल से यह सूचना क्रमिक रूप से प्रदर्शित होने लगेगी। इसके बाद, पीठासीन अधिकारी छदम मतदान के दौरान दर्ज मतों के लेखों को क्लियर करने के लिए पुनः 'क्लियर'बटन दबाएगा। 'क्लियर'बटन इस प्रकार दबाए जाने पर सभी गणनाओं में शून्य प्रदर्शित होगा जैसा कि ऊपर पैर 18.2 (ग) में उल्लिखित है। यदि वी वी पी ए टी प्रणाली प्रयुक्त की जाती हो तो ड्राप बॉक्स में कागज की पर्चियों को ड्राप बॉक्स से हटा दिया जाना चाहिए और ड्राप बॉक्स को सील की जानी चाहिए।

20.3 चूंकि मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति छदमरूपधारण की रोकने में सहायता करती है और यह सुनिश्चित करती है कि मतदान केन्द्र में प्रयुक्त ई वी एम समुचित कार्यकरण स्थिति में है और छदम मतदान के समय डाले गए मत क्लियर कर दिए गए हैं, आयोग ने पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए जाने के लिए एक प्रमाण-पत्र शुरू किया है जिसमें उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं व अभ्यर्थियों के नाम जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं निर्दिष्ट होंगे और इस पर वे उनका हस्ताक्षर लेंगे। छदम मतदान प्रमाण-पत्र का प्रोफार्मा परिशिष्ट 1X में दिया गया है।

21. कंट्रोल यूनिट में हरे कागजी मुहर लगाना

- 21.1 मतदान की परम्परागत प्रणाली में जहां मत पत्र तथा मत पेटियां प्रयुक्त की जाती हैं वहां मत पेटियों को इस आयोग द्वारा विशेष रूप से मुद्रित करवाई गई हरे रंग की कागजी मुहर लगाकर मुहरबंद एवं सुरक्षित रखा जाता है। जैसे ही मतपेटी में हरे रंग की कागजी मुहर लगाई जाती है और पेटी के ढक्कन को बंद किया जाता है, पेटी खोली नहीं जा सकती तथा उसमें अन्तर्निहित मत पत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है अथवा उन्हें मतगणना के लिए नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि हरे रंग की कागजी मुहर फट न जाती हो। वोटिंग मशीन में ऐसा ही रक्षोपाय प्रदान किया गया है ताकि जैसे ही मतदान शुरू हो, कोई भी व्यक्ति वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ न कर सके। इसे प्राप्त करने तथा सुनिश्चित करने हेतु उसी हरे रंग की कागजी मुहर जिसका इस्तेमाल वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट में मत पेटी सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है लगाने के लिए प्रावधान किया गया है।
- 21.2 कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के भीतरी कक्ष के दरवाजे के भीतरी ओर कागजी मुहर लगाने के लिए एक फ्रेम लगा होता है। (भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर द्वारा विनिर्मित वोटिंग मशीनों के मामले में, उक्त फ्रेम में दो कागजी मुहरों को लगाने की व्यवस्था है और तदनुसार उस कंपनी द्वारा विनिर्मित वोटिंग मशीनों के कंट्रोल यूनिट में दो कागजी मुहरें प्रयुक्त की जानी होती है)। मुहर इस प्रकार से लगी होगी कि इसकी हरे रंग की सतह बाहरी ओर से छिद्र के जरिए दिखाई दे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में कोई क्षतिग्रस्त कागजी मुहर प्रयुक्त न हो तथा यदि मुहर लगाने की प्रक्रिया में कोई कागजी मुहर क्षतिग्रस्त हो जाती हो तो इसे आंतरिक कक्ष के द्वार बंद किए जाने से पहले तत्काल प्रति स्थापित किया जाना चाहिए।
- 21.3 कागजी मुहर लगाने के बाद भीतरी कक्ष का दरवाजा उपयुक्त रूप से दबाकर बंद कर दिया जाएगा। इसे इस तरीके से बंद किया जाएगा कि कागजी मुहर के दो खुले सिरे भीतरी कक्ष की ओर से बाहर की ओर प्रक्षेपित होते हैं। इस प्रयोजनार्थ लगे फ्रेम में हरे रंग की कागजी मुहर लगाए जाने से पूर्व, पीठासीन अधिकारी कागजी मुहर की सफेद सतह पर कागजी मुहर की क्रम संख्या के ठीक नीचे अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेगा। इसे उन अभ्यर्थियों अथवा मतदान अभिकर्ताओं द्वारा भी हस्ताक्षर करवाया जाना चाहिए, जो उपस्थित हों और अपना हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों।

22. कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड को बंद तथा मुहरबंद करना

- 22.1 विशेष टैग:
हरे रंग की कागजी मुहर लगाए जाने तथा सुरक्षित किए जाने और पीठासीन अधिकारी तथा आपके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद, 'क्लियर' बटन तथा 'परिणाम' बटन के ऊपर भीतरी कक्ष के दरवाजे को पीठासीन अधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से दबाकर इस प्रकार बंद किए जाएंगे कि कागजी सील के दो खुले सिरे भीतरी दरवाजे के दोनों ओर से बाहर की ओर प्रक्षेपित करते रहें। तत्पश्चात् इस भीतरी दीवार को 'विशेष टैग' के साथ बंद किया जाएगा। इसके लिए पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से आपूर्ति की गई उच्च स्तरीय दोहरे धागे को भीतरी दरवाजे में बने दो छिद्रों तथा विशेष टैग में बने छिद्र से गुजारेंगे और धागे को एक गिरह में बांधेंगे तथा सीलिंग वैक्स से विशेष टैग पर धागे को सील कर देंगे। तत्पश्चात् सील तोड़े बगैर वह 'क्लोज' बटन के कक्ष में विशेष टैग को समायोजित कर लेगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 'क्लोज' बटन विशेष टैग के बीच में छिद्र के काट के जरिए बाहर निकल जाता है।
- 22.2 विशेष टैग प्रयुक्त करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखेगा।
- 22.3 विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखने के बाद, पीठासीन अधिकारी विशेष टैग के पीछे अपना हस्ताक्षर करेगा। वह मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से भी मतदान शुरू होने से पूर्व उसके पीछे हस्ताक्षर करने के लिए कहेगा यदि उनकी ऐसी इच्छा होगी। वह विशेष टैग पर पूर्व मुद्रित क्रम संख्या को भी पढ़कर सुनाएगा तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को उस क्रम संख्या को नोट करने के लिए कहेगा। यदि संयोगवश, विशेष टैग खराब या फटा हुआ है तो दूसरे टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, हरे कागज की मुहरों की तरह रिटर्निंग आफिसर 3 अथवा 4 विशेष टैग की आपूर्ति करता है।

परिणाम खंड के बाहरी आवरण को बंद एवं मुहरबंद करना:

- 22.4 कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के भीतरी कक्ष को बंद तथा मुहरबंद करने के बाद, परिणाम खंड के बाहरी आवरण को उस खंड को बंद करने के लिए उपयुक्त रूप से दबाया जाना चाहिए। बाहरी कवर को दबाने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कागज की मुहर के दोनों सिरे बाहरी आवरण के दोनों तरफ से बाहर की ओर प्रक्षेपित होते हों।

- 22.5 परिणाम खंड के बाहरी कवर को बंद करने के बाद उस आवरण को (i) बाहरी आवरण के बायीं ओर इस प्रयोजनार्थ लगे दो छिद्रों के जरिए धागा पिरोकर, (ii) धागे को गांठ में बांध करके (iii) रिटर्निंग आफिसर के स्तर पर 'कैण्ड सेट सेक्शन' से लगे लेबल के समकक्ष एक लेबल लगाकर तथा धागे को पते के टैग पर पीठासीन अधिकारी के वैक्स तथा मुहर से सील करके मुहरबंद किया गया है। अभ्यर्थियों अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं को बाहरी आवरण पर अपनी मुहर लगाने की भी अनुमति दी जाएगी यदि उनकी ऐसी इच्छा होगी।
- 22.6 पते के टैग पर निम्नलिखित ब्योरा होगा:
- 22.7 रिटर्निंग आफिसर मतदान सामग्री के भाग के रूप में पर्याप्त संख्या में कोरा मुद्रित पते का टैग प्रदान करेगा। पते के टैग में ब्योरा को आपके द्वारा ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिए। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या इसके निचले भाग में लिखी होती है।
- 22.8 अभ्यर्थी अथवा उनके उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को भी अपनी मुहर के साथ पते के टैग वाले बाहरी आवरणों पर अपनी मुहरों लगाने की अनुमति दी जाएगी यदि उनकी ऐसी इच्छा होगी।
- 22.9 भीतरी कक्ष तथा बाहरी आवरण को इस प्रकार बंद एवं मुहरबंद करने से समस्त परिणाम खंड सीलबंद एवं सुरक्षित हो जाता है तथा कंट्रोल यूनिट द्वारा दर्ज मतों को विलुप्त नहीं किया जा सकता है अथवा परिणाम देखा जा सकता है।

23. स्ट्रिप सील:

- 23.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मुहरबंद करने की व्यवस्थाओं में और सुधार लाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल यूनिट के 'परिणाम खंड' को बाहरी पेपर स्ट्रिप सील (इसके पश्चात् "स्ट्रिप सील" के रूप में संदर्भित) से मुहरबंद करने के लिए अतिरिक्त बाहरी मुहर के मुद्रण की प्रणाली अनुमोदित की है ताकि कंट्रोल यूनिट का यह भाग मतदान शुरू होने पर और मतगणना होने तक खुल न सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतदान केन्द्र में मशीन में पहला मत डाले जाने से लेकर इसे मतगणना मेज पर लाए जाने तक कोई भी व्यक्ति स्ट्रिप सील को क्षतिग्रस्त किए बगैर इस परिणाम खंड को नहीं खोल सकेगा।
- 23.2 अतः आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर जहां ई वी एम के प्रयोग से निर्वाचन संचालित किया जाएगा, वहां कंट्रोल यूनिट स्ट्रिप सील से बाहर से पूरी तरह से सुरक्षित एवं सीलबंद की जाएगी जैसा कि नीचे ब्योरा दिया गया है ताकि यह खंड स्ट्रिप सील को क्षतिग्रस्त किए बगैर खोला न जा सके। इस स्ट्रिप सील पर "क्लोज" बटन को ढकने वाले रबर कैप के ठीक नीचे "परिणाम खंड" के बाहरी दरवाजे पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि "क्लोज" बटन को ढकने वाला रबर कैप स्ट्रिप सील से ढक न जाए।
- 23.3 स्ट्रिप सील-भौतिक विशेषताएं:
स्ट्रिप सील की निम्नलिखित प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं:
- स्ट्रिप सील 23.5 "(तेइस दशमलव पांच इंच) लम्बी तथा 1" (एक इंच) चौड़ी माप वाली एक कागजी मुहर है। स्ट्रिप सील की लम्बाई ऐसी होती है कि इसे मतदान शुरू होने से पूर्व तथा कंट्रोल यूनिट में अन्य मानक सील लगाए जाने के बाद एक अतिरिक्त बाहरी सील प्रदान करने के लिए कंट्रोल यूनिट के चौड़े भाग के चारों ओर लपेटी जा सके।
 - प्रत्येक स्ट्रिप सील में "एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है।
 - इन स्ट्रिप सीलों की आपूर्ति भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक द्वारा की जाएगी, आयोग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जाएगा तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक राज्य के लिए केन्द्रीय स्तर पर उनका प्रापण करेगा।
 - स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर, चार (4) प्री-गम्ड भाग होते हैं। इनमें से तीन करीब एक-वर्ग इंच क्षेत्रफल (वर्ण "क" "ख" एवं "ग" द्वारा अभिज्ञात) तथा एक करीब दो वर्ग इंच क्षेत्रफल (वर्ण "छ" द्वारा अभिज्ञात) होता है। प्रत्येक गम्ड भाग वैक्स पेपर की स्ट्रिप द्वारा ढका होता है।
 - प्रत्येक स्ट्रिप सील का भीतरी एवं बाहरी सिरा होता है। स्ट्रिप के भीतरी भाग पर एक सिरे पर दो निकटवर्ती प्री-गम्ड भाग होते हैं जो भाग वर्ण "क" एवं "ख" द्वारा अंकित होते हैं। स्ट्रिप के भीतरी भाग के दूसरे सिरे पर "घ" अंकित 2" (दो इंच) प्री-गम्ड भाग होता है। स्ट्रिप के बाहरी भाग पर, केवल एक प्री-गम्ड भाग होता है जिसपर "ग" अंकित होता है। बाहरी भाग तथा भीतरी भाग को दर्शाने वाली स्ट्रिप सील का आरेख नीचे दिया गया है। गाढेरंग के भाग सील के भीतरी एवं बाहरी भाग पर गम्ड भाग हैं।

हरे रंग की कागजी मुहर को लगाने में महत्वपूर्ण परिवर्तन

- 23.4 अब हरे रंग की कागजी मुहरों को मोड़ने की विधि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। परिणाम बटनों को ढकने वाले भीतरी दरवाजे की खिड़कियों में लगे स्थान पर हरे रंग की कागजी मुहरें लगाने के बाद, परिणाम खंड के ऊपर भीतरी दरवाजे तथा बाहरी दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा करते समय, हरे रंग की कागजी मुहरों के ढीले सिरों को परिणाम खंड के ऊपर बाहरी दरवाजे के दोनों भागों से बाहर निकाल दिया जाएगा। हरे रंग की मुहर के दोनों मुक्त सिरों को स्ट्रिप सील का इस्तेमाल करते हुए सीलबंद किया जाता है।

स्ट्रिप सील के इस्तेमाल सहित कंट्रोल यूनिट को सीलबंद करने की पूर्ण विधि

- 23.5 आसानी से समझने के लिए मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्ट्रिप सील लगाने तक का संपूर्ण क्रमागत उपायों का ब्योरा नीचे दिया गया है:
- वास्तविक मतदान शुरू होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी छदम मतदान संचालित करता है।
 - छदम मतदान संचालित करने तथा परिणाम प्रदर्शित करने के बाद, पीठासीन अधिकारी “क्लियर” बटन प्रचालित करके छदम मतदान से संबंधित आकड़ों के कंट्रोल यूनिट तथा ड्राप बॉक्स सहित प्रिंटर को क्लियर करेगा।
 - क्लियर करने के बाद वह परिणाम खंड के भीतरी दरवाजे की खिड़कियों को ढकने के लिए हरे रंग की कागजी मुहर (बी ई एल मशीनों के मामले में दो मुहरें तथा ई सी आई एल मशीन के मामले में केवल एक को सन्निविष्ट करेगा। हरे रंग की कागजी मुहरों को सन्निविष्ट करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि मुहर का हरा भाग भीतरी दरवाजे को बंद करने के बाद इसकी खिड़कियों के जरिए दिखाई देता हो।
 - हरे रंग की मुहरों को सन्निविष्ट करने के बाद, परिणाम बटनों के ऊपर भीतरी दरवाजा बंद किया जाएगा।
 - उसके बाद, परिणाम खंड के भीतरी दरवाजे को विशेष टैग से सीलबंद किया जाएगा।
 - विशेष टैग लगाने के बाद, यह सुनिश्चित करते हुए परिणाम खंड के बाहरी दरवाजे को बंद करें कि हरे रंग की मुहर (मुहरें) के दोनों ढीले सिरे बंद बाहरी दरवाजे के दोनों भागों से बाहर निकलती हों।
 - उसके बाद, पीठासीन अधिकारी धागे तथा पते के टैग से बाहरी दरवाजे को सील करेगा।
 - तत्पश्चात वह परिणाम खंड को बाहर से पूरी तरह से सीलबंद करने के लिए कंट्रोल यूनिट के चारों ओर स्ट्रिप सील लगाएगा ताकि मतदान शुरू होने के बाद स्ट्रिप सील को क्षतिग्रस्त किए बगैर यह खंड खोला न जा सके। स्ट्रिप सील को ‘क्लोज’ बटन से ठीक नीचे स्थापित किया जाएगा। स्ट्रिप सील को लगाने की विस्तृत क्रियाविधि नीचे दी गई है। बी ई एल निर्मित मशीनों तथा ई सी आई एल निर्मित मशीनों के लिए स्ट्रिप सील लगाने की विधि में थोड़ा अंतर है। अपने राज्य में उपलब्ध ई वी एम के निर्माण के आधार पर नीचे के अनुदेशों का अनुसरण करें।

24. स्ट्रिप सील से वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने का तरीका

24.1 ‘बी ई एल’ मशीन:

चरण 1: पीठासीन अधिकारी दरवाजे के भीतरी तरफ से बाहर की ओर निकलते हरे कागजी मुहर के तल के निकट स्थित प्री-गमड भाग ‘ए’ के साथ स्ट्रिप सील रखेगा (फोटो देखें)। वह ‘ए’ को कवर करने वाले वैक्स पेपर को हटा देगा। तब वह गमड भाग ‘ए’ के ऊपर हरे कागजी मुहर के भीतरी तह को दबाएगा। वह भीतरी तह के ऊपर हरे कागजी मुहर के बाहरी तह को भी रखेगा।

चरण 2: पीठासीन अधिकारी प्री-गमड भाग ‘ख’ के ऊपर से वैक्स हटा देगा तथा हरे कागजी मुहर के बाहरी तह के ऊपर प्री-गमड भाग ‘बी’ को दबाएगा। हरे कागजी मुहर के ऊपर ‘बी’ चिपकाने के बाद, प्री-गमड सी के ऊपर वैक्स ऊपर आ जाएगा।

चरण 3: पीठासीन अधिकारी प्री-गमड भाग सी के ऊपर से वैक्स पेपर हटा लेगा और बाहरी दरवाजे के ऊपरी भाग से बाहर निकलती हरे रंग की कागजी मुहर के दोनों सिरों को दबाएगा, ताकि उस हरे कागजी मुहर की भीतरी तह ‘सी’ से दृढ़तापूर्वक चिपकी रहे।

चरण 4: वह यह ध्यान रखते हुए कि स्ट्रिप 'क्लोज'बटन के नीचे से गुजरता हो, बांयी ओर से कंट्रोल यूनिट के चारों ओर स्ट्रिप सील का शेष भाग ले जाएगा। उसके बाद वह बाहरी दरवाजे जहां प्री-गम्ड भाग 'ए'बी तथा 'सी'चिपकाए गए हैं, के शीर्ष पर कंट्रोल यूनिट के दायीं ओर से स्ट्रिप सील का दूसरा सिरा जाएगा।

चरण 5: अब पीठासीन अधिकारी प्री-गम्ड भाग 'डी'को कवर करने वाले वैक्स पेपर को हटाएगा तथा दरवाजे के शीर्ष भाग से बाहर निकल रही रहे हरे कागजी मुहर की बाहरी तह के ऊपर इसे जोर से दबाएगा। प्री-गम्ड भाग 'डी'क्लोज'बजट के नीचे स्ट्रिप सील के ऊपर फैल जाएगा। वह 'डी'के फैले हुए भाग को स्ट्रिप सील के ऊपर दबाएगा। उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा दरवाजे के दोनों तरफ से बाहर निकल रही हरे रंग की कागजी मुहरों के चारों ढीले सिरे दृढ़तापूर्वक चिपक जाते हैं तथा स्ट्रिप सील द्वारा जकड़े रहते हैं। साथ ही, परिणाम खंड के ऊपर बाहरी दरवाजा सभी स्ट्रिप के साथ सील हो जाता है तथा सील को क्षति पहुँचाए बगैर-इस खंड को नहीं खोला जा सकता है।

स्ट्रिप सील लगाने के बाद

स्ट्रिप सील से कंट्रोल यूनिट सील करने के बाद पीठासीन अधिकारी यह ध्यान रखेगा कि मतदान के दौरान सील क्षतिग्रस्त न हो जाए अथवा इसके साथ छेड़-छाड़ न किया जाए और इसे सील को मतदान केन्द्र में मतदान के दौरान अथवा मतदान के बाद हटाया नहीं जाएगा। निर्धारित समय पर मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी स्ट्रिप सील में व्यवधान डाले बगैर 'क्लोज'बटन के ऊपर ढक्कन हटा देगा और मतदान को समाप्त करने तथा ढक्कन को प्रतिस्थापित करने के लिए 'क्लोज'बटन को दबाएगा। मतदान की समाप्ति पर अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट को इसके कैरिंग केस में ध्यानपूर्वक पैक कर देगा तथा कैरिंग केस को पते के टैग से सील कर देगा। यह सीलबंद कैरिंग केस मतगणना केन्द्र पर सुपुर्द किया जाएगा। मतगणना के दिन सुरक्षित स्ट्रिप सील के साथ कंट्रोल यूनिट को मतगणना मेज पर उपस्थित अभ्यर्थियों/मतगणना अभिकर्ताओं द्वारा जांचे जाने की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात् ही यह ध्यान रखते हुए सील हटायी जाएगी कि हरे कागजी मुहरों को क्षति न पहुँची हो। बाहर की ओर निकली हुई हरे कागजी सील की जांच करने के बाद, कंट्रोल यूनिट के बाहरी दरवाजे पर सील किया गया धागा खोला जाएगा।

महत्वपूर्ण सावधानियां:

- (i) स्ट्रिप सील को इस प्रकार लगाया जाएगा कि परिणाम खंड के बाहरी दरवाजे पर 'क्लोज'बटन कैप के नीचे का भाग कवर रहे। स्ट्रिप लगाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 'क्लोज'बटन इस स्ट्रिप द्वारा साफ और पूरी तरह से अनढका छोड़ा जाता हो कि ताकि उस बटन को प्रचालित करने में कोई कठिनाई न हो।
- (ii) स्ट्रिप सील कसकर लगाई जाएगी तथा ढीली नहीं रखी जाएगी।
- (iii) क्षतिग्रस्त स्ट्रिप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- (iv) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर हरे कागजी मुहरों की तरह चार (4) स्ट्रिप सीलों की आपूर्ति की जाएगी।
- (v) पीठासीन अधिकारी मतदान के संचालन के लिए मतदान केन्द्र को आपूर्ति की गई प्रत्येक स्ट्रिप सील का हिसाब रखेगा।
- (vi) वह ऐसे प्रत्येक स्ट्रिप सील को रिटर्निंग आफिसर को वापस करेगा जो प्रयुक्त न हुई हो, (स्ट्रिप (अथवा उनके टुकड़े सहित) संयोगवश क्षतिग्रस्त हुई हो जो किसी अप्राधिकृत व्यक्ति के हाथ में किसी समय पाए जाने की स्थिति में जिम्मेवार होगा।
- (vii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक रिटर्निंग आफिसर को आपूर्ति की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या का रिकार्ड रखेंगे। उसी प्रकार, प्रत्येक रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर आपूर्ति की गई स्ट्रिप सील का रिकार्ड रखेगा।
- (viii) आयोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ आपके राज्य में स्ट्रिप सील के नमूने जारी करेगा। ये नमूने स्ट्रिप भी सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। यथास्थिति, प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन के लिए स्ट्रिप का इस्तेमाल करने के बाद प्रयुक्त स्ट्रिप को उन्हें टुकड़े-टुकड़े करने के बाद नष्ट कर दिया जाएगा।

24.2 'ई सी आई एल'मशीन:

ई सी आई एल मशीन में एक हरे कागजी मुहर का प्रयोग किया जाता है। अतएव, उसी हरे कागजी मुहर के ढीले सिरे परिणाम खंड के ऊपर बाहरी दरवाजे के दोनों सिरों से बाहर निकलते हैं।

ई सी आई एल निर्मित मशीनों को स्ट्रिप सील से सीलबंद करने के चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 1: पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करते हुए कि सील का हरा भाग बाहर रहे, हरे कागजी मुहर के भीतरी सिरे को मध्य में दोहरा कर देगा।

चरण 2: तत्पश्चात् वह परिणाम खंड के बाहरी दरवाजे के भीतरी तरफ से बाहर निकलती हुई हरे रंग की कागजी मुहर के भीतर मोड़ के तल के निकट स्थित प्री-गम्ड भाग 'ए'के साथ स्ट्रिप सील रखेगा। 'ए'के ऊपर वैक्स पेपर हटाने के बाद वह इस चिपके हुए भाग के ऊपर हरे कागजी मुहर के भीतरी मोड़ को दबाएगा तथा चिपकाएगा।

चरण 3: उसके बाद वह प्री-गम्ड भाग बी के ऊपर वैक्स पेपर हटाएगा तथा हरे कागजी मुहर के बाहरी मोड़ पर चिपके हुए भाग को दबाएगा।

चरण 4: हरे रंग की कागजी मुहर पर 'बी'चिपकाने के बाहर प्री-गम्ड भाग सी शीर्ष स्थिति में आ जाएगा। पीठासीन अधिकारी सी के ऊपर वैक्स पेपर हटाएगा तथा बाहरी दरवाजे के शीर्ष भाग से बाहर निकल रही हरे रंग की कागजी मुहर को दबाएगा ताकि हरा कागजी मुहर 'सी'के ऊपर दृढ़ता से चिपक जाए।

चरण 5: वह यह ध्यान रखते हुए कि स्ट्रिप 'क्लोज'बटन के नीचे से गुजरे, बांयी ओर से कंट्रोल यूनिट के चारों ओर स्ट्रिप सील का शेष भाग ले जाएगा। तब वह स्ट्रिप सील के दूसरे सिरे को बाहरी दरवाजे के शीर्ष पर कंट्रोल यूनिट की दायी ओर से लाएगा जहां प्री-गम्ड भाग 'ए'बी तथा सी चिपकाए गए हैं।

चरण 6: प्री-गम्ड भाग 'डी'को कवर करने वाले वैक्स पेपर को हटाने के बाद वह इसे दरवाजे के शीर्ष भाग से बाहर निकलती हुई हरे कागजी मुहर पर जोर से दबाएगा। प्री-गम्ड भाग डी क्लोज बटन के नीचे स्ट्रिप सील के ऊपर फैल जाता है। पीठासीन अधिकारी डी के इस फैले हुए भाग को स्ट्रिप सील से दबाएगा। उपर्युक्त प्रक्रिया के द्वारा, हरे कागजी मुहर के दोनों ढीले सिरे जो बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ से बाहर निकल रहे होते हैं, दृढ़तापूर्वक चिपक जाते हैं और स्ट्रिप सील से जकड़ जाते हैं। साथ ही, परिणाम खंड के ऊपर बाहरी दरवाजे को भी सभी दिशाओं से स्ट्रिप सील से सीलबंद कर दिया जाता है और यह खंड इस सील को क्षतिग्रस्त किए बगैर नहीं खोला जा सकता है।

25. वास्तविक मतदान के लिए तैयार वोटिंग मशीन

25.1 वोटिंग मशीन अब वास्तविक, मतदान के लिए सभी प्रकार से तैयार है।

25.2 मतदान शुरू होने से पूर्व, पीठासीन अधिकारी बैलटिंग यूनिट (यूनिटों) को मतदान कक्ष के भीतर रखेगा। जैसा कि पहले ही अनुदेश दिया जा चुका है, मतदान कक्ष उसकी मेज से पर्याप्त दूरी पर अवस्थित होना चाहिए जहां कंट्रोल यूनिट रखा और प्रचालित किया जाएगा। बैलटिंग यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट के बीच अंतर-संयोजक केबल की लम्बाई करीब चार मीटर की होती है। अतः मतदान कक्ष पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। साथ ही, केबल को इस प्रकार मार्गीकृत किया जाना चाहिए कि इससे मतदान केन्द्र के भीतर मतदाताओं की आवाजाही बाधित न हो तथा उसे पैर से न दबाया जाए अथवा उसके ऊपर से न गुजरा जाए। मतदान कक्ष में ई वी एम रखते समय यह निःसन्देह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होता हो। यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान कक्ष केवल कार्डबोर्ड से अथवा पॉली-प्रोपाइलिन से बनाया गया हो, न कि कपड़े से और इसका आयाम 23"X23"X23" हो तथा इसे खिड़की/दरवाजे से दूर रखा गया हो। जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है वहां प्रिंटर को भी मतदान कक्ष में बैलटिंग यूनिट के साथ रखा जाएगा और यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उस तरीके से जुड़ा होगा जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया हो।

26. कागजी मुहरों का लेखा-जोखा

26.1 पीठासीन अधिकारी उसको आपूर्ति की गई तथा कंट्रोल यूनिट को सीलबंद एवं सुरक्षित करने के लिए उसके द्वारा वास्तविक रूप से प्रयुक्त कागजी मुहरों का सही लेखा-जोखा रखेगा। ऐसा लेखा-जोखा निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के साथ संलग्न प्ररूप 17 ग के भाग। की मद 9 के तहत इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से विहित प्ररूप में उसके द्वारा रखा जाएगा। (परिशिष्ट VIII)

26.2 पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थियों अथवा उपस्थित अभिकर्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति की गई तथा वास्तविक रूप से प्रयुक्त कागजी मुहरों की क्रम संख्याओं को दर्ज करने की अनुमति देगा।

27. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

- 27.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 में प्रत्येक मतदान अभिकर्ता से अपेक्षित है कि वह मतदान की गोपनीयता बनाए रखे तथा इसे बनाए रखने में सहायता करे; किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए परिकल्पित किसी भी सूचनाओं को किसी व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करना चाहिए। विधि के उपर्युक्त उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माने अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है।
- 27.2 मतदान शुरू होने से पूर्व, पीठासीन अधिकारी मत की गोपनीयता कायम रखने के उसके कर्तव्य तथा उसके भंजन के लिए शास्ति के संबंध में उपर्युक्त धारा 128 के उपबंधों की जानकारी सभी उपस्थितों को देगा।
- 27.3 माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझाव का सम्मान करते हुए, आयोग ने निर्देश दिया है कि उन मतदान केन्द्रों के भीतर मतदान कार्यवाहियों की डिजिटल विडियोग्राफी की जा सकेगी जहां प्रेक्षक इसे आवश्यक समझे तथा वह भी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही की जा सकेगी। तथापि, यह सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा कि विडियोग्राफी करते समय उससे मत की गोपनीयता का उल्लंघन न हो, इसका अर्थ यह हुआ कि मतदान कक्ष के भीतर विडियो कैमरा को अवश्य ही जूम नहीं करना चाहिए। तथापि, सामान्य व्यवस्था एवं मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मीडिया के लोगों अथवा किसी अन्य अप्राधिकृत व्यक्तियों को फोटोग्राफी विडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

28. मतदान की शुरुआत

- 28.1 पीठासीन द्वारा प्रारंभिक तैयारियों का जायजा करने के बाद, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, वह विहित प्ररूप (परिशिष्ट III भाग I) में इस आशय की घोषणा करेगा कि उसने प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। वह मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों को घोषणा पढ़कर सुनाएगा तथा घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर उन मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर लेगा जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। आपको घोषणा में हस्ताक्षर करना चाहिए क्योंकि यह सभी को संतुष्ट करेगा कि मतदान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आरंभ हुआ है। यदि कोई मतदान अभिकर्ता उस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना करेगा तो पीठासीन अधिकारी उक्त घोषणा-पत्र के प्ररूप में उस प्रयोजनार्थ प्रदत्त पैरे में उसका नाम लिख देगा।
- 28.2 मतदान उस प्रयोजनार्थ नियत किए गए समय के साथ ही शुरू हो जाएगा। उस समय तक, पीठासीन अधिकारी प्रारंभिक तैयारिकयां पूरी कर चुका होगा। यदि किसी अप्रत्याशित कारणों से प्रारंभिक तैयारियां पूरी न हुई हो तो पीठासीन अधिकारी मतदान को शुरू करने के लिए नियत समय पर 3 अथवा 4 मतदाताओं को अंदर आने दे सकता है और मतदान अधिकारी को उनके साथ आवश्यक कार्रवाई करने देगा ताकि वे मतदान की प्रक्रिया शुरू कर सकें।
- 28.3 पीठासीन अधिकारी किसी भी स्थिति में नियत समापन समय नहीं बढ़ा सकता है, सिवाय ऐसे मतदाताओं को मत डालने की अनुमति देने के जो नियत समापन समय से पूर्व मतदान केन्द्र पहुँच चुके हों और जिन्होंने मतदान के लिए कतार में अपना स्थान ले लिया हो। इस प्रयोजनार्थ, पीठासीन अधिकारी उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित पर्चियां ऐसे निर्वाचकों को वितरित करेगा जो मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर मतदान केन्द्र पर कतार के पीछे से आगे की ओर उपस्थित है।

29. मतदान केन्द्र में मतदाताओं का प्रवेश

- 29.1 सामान्य रूप से पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए पृथक कतारें होंगी। कतारों को संचालित करने वाले व्यक्ति मतदान केन्द्र में एक बार तीन या चार मतदाताओं को ही आने देंगे जैसा पीठासीन अधिकारी निर्देश दे। अंदर आने के लिए प्रतीक्षारत अन्य मतदाताओं को बाहर एक कतार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, पीठासीन अधिकारी यदि वह उचित समझे तो अन्य लोगों पर वरिष्ठ नागरिकों, अशक्त मतदाताओं तथा बच्चों को बांह में ली हुई महिला मतदाताओं को वरीयता प्रदान कर सकता है। मतदान अभिकर्ताओं को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इस तथ्य के दृष्टिगत कि मतदान केन्द्रों पर मतदान करने के लिए आने वाली महिला निर्वाचकों को अनेक घेरलू काम-काज करने होते हैं, प्रत्येक पुरुष मतदाता के स्थान पर दो महिला निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ, यदि आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग से कतार बनाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

30. निर्वाचनों की पहचान तथा अमिट स्याही का प्रयोग

- 30.1 निर्वाचक नामावली की निशान लगी प्रति तथा निर्वाचकों की पहचान का प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अथवा ई आर ओ/बी एल ओ द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची की सहायता से निर्वाचक की पहचान स्थापित करेगा। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं के फोटोग्राफ जहां फोटो नामावली में उपलब्ध हो, सहित मतदाता पर्चियां जिला प्रशासन द्वारा सभी नामांकित मतदाताओं को वितरित की जाएं। आयोग निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आदेश जारी करता है। फोटो मतदाता पर्ची पहचान के लिए एक अनुमोदित दस्तावेज होता है। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति के नाम, लिंग, आयु अथवा पते, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की क्रम संख्या के संबंध में छोटी-मोटी विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा तथा निर्वाचक को अपना मत डालने दिया जाएगा जब तक कि निर्वाचक की पहचान उस पत्र अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक दस्तावेज द्वारा स्थापित की जा सकती हो। पीठासीन अधिकारी किसी निर्वाचक को अपना मत डालने की अनुमति दे सकता है यदि वह निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता हो जिसे दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ई आर ओ द्वारा जारी किया गया हो बशर्ते कि उसका नाम उस मतदान केन्द्र विशेष से संबंधित निर्वाचक नामावली में प्रदर्शित हो, जहां मतदाता मतदान के लिए आया हो और यह कि उसकी बायीं तर्जनी की जांच से पता चलता हो कि उसने किसी अन्य स्थान पर मतदान नहीं किया है।
- 30.2 अमित स्याही मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर नाखून के ऊपरी सिरे से लेकर बायीं तर्जनी के प्रथम जोड़ के निचले भाग तक एक रेखा के रूप में प्रयुक्त होगी।

31. वोटिंग मशीनों द्वारा मतों को दर्ज करने की विधि

- 31.1 आपको वोटिंग मशीन पर मतों को दर्ज करने की विधि से पूर्णतया अवगत रहना चाहिए ताकि मतदान केन्द्र पर अनुसरण की गई क्रियाविधि के बारे में कोई अनावश्यक आपत्ति न की जाए।
- 31.2 किसी निर्वाचक की पहचान उसकी बायीं तर्जनी पर अमित स्याही तथा रजिस्टर पर उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का छाप (जैसा कि उत्तरवर्ती पैरों में उल्लिखित है) प्राप्त करने के संबंध में क्रियाविधिक अपेक्षाओं के पूरा होने तथा मतदाता को वोटिंग मशीन में मत दर्ज करने की अनुमति देने के बाद वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर 'बैलट' बटन दबाएगा। इससे निर्वाचक के मत को दर्ज करने के लिए बैलर यूनिट तैयार हो जाएगी। जब 'बैलट' बटन दबाया जाएगा तो कंट्रोल यूनिट पर 'व्यस्त' अंकित लैम्प लाल प्रकाश के साथ प्रज्वलित होगा। उसी समय, मतदान कक्ष में रखी गई प्रत्येक बैलट यूनिट पर 'तैयार' अंकित लैम्प हरे प्रकाश के साथ प्रज्वलित होना आरंभ होगा। अपना मत दर्ज करने के लिए निर्वाचक बैलट यूनिट पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम तथा निर्वाचन चिन्ह के सामने लगे नीले बटन को दबाएगा (अभ्यर्थी का बटन कहलाता है)। (प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके नाम तथा चिन्ह के सामने एक अलग नीला बटन लगा होता है)। जब निर्वाचक अभ्यर्थी का नीला बटन दबाएगा 'तैयार' लैम्प बंद हो जाएगा और बैलटिंग यूनिट पर अभ्यर्थी के नीला बटन के निकट लगा उसका लैम्प लाल प्रकाश के साथ प्रज्वलित होना शुरू हो जाएगा। साथ ही, कंट्रोल यूनिट से निकलती हुए 'बीप' की आवाज सभी उपस्थित लोगों को सुनाई देगी। कुछ सेकंड के बाद अभ्यर्थी के लैम्प में बैलटिंग यूनिट पर लाल प्रकाश प्रज्वलित होगा और कंट्रोल यूनिट पर 'व्यस्त' लैम्प लाल प्रकाश के साथ प्रज्वलित होगा और बीप की आवाज बंद हो जाएगी। ये दृश्य एवं श्रव्य चिन्ह ऐसे संकेत होंगे कि अभ्यर्थी जिसका बटन मतदाता द्वारा दबाया गया था, का मत कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो गया है। तत्पश्चात् बैलटिंग यूनिट स्वतः ही लॉक हो जाएगी और अगला मत तभी दर्ज किया जा सकता है जब कंट्रोल यूनिट पर 'बैलट' बटन अगले मतदाता को अपना मत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए दबाया जाएगा।
- 31.3 यदि कोई मतदाता ई वी एम के जरिए मतदान की विधि से समुचित रूप से अवगत नहीं होगा तो पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र में रखी हुई ई वी एम के कार्डबोर्ड मॉडल का इस्तेमाल करते हुए मतदान प्रक्रिया का प्रदर्शन करेगा। हम मतदाता की सहायता करने के लिए मतदान कक्ष के भीतर नहीं जाएंगे।

32. मतदान केन्द्र पर मतदान क्रियाविधि

मतदान क्रियाविधि संक्षिप्त रूप से निम्नवत है:-

- 32.1 जब कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करेगा तो वह प्रथम मतदान अधिकारी के पास सीधे चला जाएगा जो निर्वाचकों की पहचान तथा निर्वाचक नामावली की निशान लगी प्रति का प्रभारी होगा। उसकी पहचान स्थापित होने तथा किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा उसकी पहचान के प्रति कोई चुनौती न किए जाने के पश्चात्, निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमित स्याही का निशान द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा लगा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर 30.2 में उल्लिखित है। ऐसा द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क)

में प्रविष्टियां करने से पूर्व किया जाएगा कि मतदाता द्वारा मतदान केन्द्र से प्रस्थान करने से पूर्व अमित स्याही का निशान सूख जाता हो क्योंकि वह भी मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) का प्रभारी होगा। वह मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली के अनुसार उसकी क्रम संख्या उस रजिस्टर के स्तंभ 2 में लिखेगा। तत्पश्चात् वह स्तंभ 3 में निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेज के ब्योरे दर्ज करेगा और निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने उक्त रजिस्टर के स्तंभ 3 में उसका हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लेगा। उसके बाद दूसरा मतदान अधिकारी भी निर्वाचक के लिए मतदाता पर्ची तैयार करेगा।

- 32.2 निर्वाचक तत्पश्चात् उस मतदाता पर्ची के साथ पीठासीन अधिकारी अथवा तीसरे पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा जो कोई वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हो। यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी/तृतीय मतदान अधिकारी निर्वाचक की बायीं तर्जनी का निरीक्षण उस पर लगी अमित स्याही के निशान के लिए करेगा और उपर्युक्त मतदाता पर्ची के आधार पर वोटिंग मशीन में उसका मत दर्ज करने की उसे अनुमति देगा। वोटिंग मशीन के जरिए मत दर्ज करने की क्रियाविधि पूर्ववर्ती पैरों में स्पष्ट की जा चुकी है।
- 32.3 निर्वाचकों को वोटिंग मशीन में अपने मत उसी क्रम में दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी जिस क्रम में वे मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी निर्वाचक के संबंध में उपर्युक्त क्रम को पूर्णतया कायम रखना संभव नहीं हुआ है तो पीठासीन अधिकारी यथातथ्य क्रम संख्या मतदाताओं के रजिस्टर की अभ्युक्ति स्तंभ में निर्दिष्ट करेगा जिसक्रम में प्रभावित निर्वाचकों ने अपने मत दर्ज किए हैं।
- 32.4 मतदाता की बायीं तर्जनी की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करना कि अमित स्याही का निशान साफ-साफ है, पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके दल के किसी अन्य सदस्य को सौंपी जा सकती है। यदि वह यह पाता है कि ऐसा निशान स्पष्ट रूप से दृश्यमान नहीं है अथवा अमित स्याही मिट गई है, तो वह मतदाता की बायीं तर्जनी पर पुनः अमित स्याही का निशान लगाएगा।

33. किसी मतदाता की पहचान को चुनौतियां

- 33.1 जैसा कि ऊपर कथित है, मतदान अभिकर्ता का एक मुख्य कर्तव्य पीठासीन अधिकारी को मतदाताओं के छदमरूपधारण का पता लगाने तथा उसे रोकने में पीठासीन अधिकारी की सहायता करना है। अतः आप किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान को चुनौती देने के पात्र हैं जो मतदाता के रूप में आता हो, यदि आपको व्यक्तिगत जानकारी है कि अमुक मतदाता का दावा करने वाला व्यक्ति अमुक व्यक्ति नहीं है। तथापि, आपको अविवेकपूर्ण चुनौतियां नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे मतदान की निर्बाध प्रगति में बाधा पहुंचेगी जिससे विलंब होगा जिस मामले में कुछ मतदाता हताश हो सकते हैं तथा मतदान किए बगैर कतार छोड़ सकते हैं।

34. मृत, अनुपस्थित तथा कथित तौर पर संदिग्ध मतदाताओं की सूची

- 34.1 भारत निर्वाचन आयोग ने पाया है कि मतदान के दिन कुछ व्यक्ति ऐसे मतदाताओं के नाम से मतदान केन्द्र पर मत डालने आते हैं जो मृत हो चुके हैं अथवा दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित हो गए हैं। मतों की याचना के क्रम में कार्यकर्ता तथा अभिकर्ता ऐसा पा सकते हैं कि कुछ मतदाताएं जिनके नाम निर्वाचक नामावली में प्रदर्शित हैं वे मृत हो चुके हैं, कि कुछ मतदाताएं उस स्थान को लगभग स्थायी तौर पर छोड़ चुके हों। कार्यकर्ताओं को प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए ऐसे मृत, अनुपस्थित अथवा स्थानान्तरित तथा डुप्लिकेट मतदाताओं की अलग-अलग सूची तैयार करने के कहा जा सकता है। यदि संभव हुआ तो सभी निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा सम्मत ऐसे मतदाताओं की सूची प्राप्त करें तथा निर्वाचन में मतदान के प्रथम दिन से कम-से-कम 7 दिन पूर्व रिटर्निंग आफिसर को सम्मत सूची सुपुर्द करने की व्यवस्था करें। यदि सूची पर निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों की सहमति न हो तो भी यथासंभव जितना हो सके उतने की सहमति लें अथवा ऐसा भी न होने पर रिटर्निंग आफिसर को सूची उपलब्ध कर दें।
- 34.2 आशा की जाती है कि मतदान अभिकर्ता निर्वाचक नामावली की एक प्रति अपने साथ रखेगा तथा साथ ही मृत, अनुपस्थित तथा कथित रूप से संदिग्ध मतदाताओं के नामों की सूची भी रखेगा जो अभ्यर्थी अथवा उसके दल द्वारा तैयार की गई है। इस सूची की एक प्रति पीठासीन अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि मतदाता होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने उस सूची में अपने नाम का उल्लेख करवा लिया हो तो मतदान अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहिए। यह औपचारिक चुनौती नहीं बनेगी। पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति की पहचान की जांच करेगा।
- 34.3 मतदान के समय छदमरूपधारण को रोकने के लिए आयोग ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

- क) ए एस डी मतदाताओं की सूची मतदान केन्द्रवार बनाई जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को अनुपस्थित, स्थानान्तरित तथा मृत निर्वाचकों (ए एस डी सूची) की अलग सूची दी जाए।
- ख) मत डालने के लिए मतदान के दिन निर्वाचक जिसका नाम इस सूची में हो को ई पी आई सी अथवा फोटो मतदाता पर्ची अथवा कोई ऐसा एक वैकल्पिक फोटो संबंधी दस्तावेज, प्रस्तुत करना होगा जो आयोग द्वारा अनुमत हो। पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पहचान दस्तावेज तथा प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर में संबंधित मतदान अधिकारी द्वारा समुचित रूप से रजिस्टर्ड ब्यौरे का सत्यापन करेगा।
- ग) ए एस डी सूची में उल्लिखित किसी निर्वाचक के मतदान के लिए आने की स्थिति में पहचान के पूर्ण सत्यापन के बाद ऐसे निर्वाचकों के अंगूठे का निशान भी मतदाताओं के रजिस्टर के “हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान” स्तंभ के सामने हस्ताक्षर के अलावा लिया जाएगा (प्ररूप 17क) निर्वाचक के साक्षर तथा उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की स्थिति में भी अंगूठे का निशान हस्ताक्षर के अतिरिक्त लिया जाएगा।
- घ) पीठासीन अधिकारी ऐसे मामलों का रिकार्ड रखेगा तथा मतदान की समाप्ति पर एक प्रमाण-पत्र (संवीक्षा हेतु प्रपत्र 17 क के साथ रखाना) देगा कि अनुपस्थित तथा स्थानान्तरित निर्वाचकों से कई निर्वाचकों को समुचित संवीक्षा के बाद मत देने की अनुमति दी गई।
- ड.) जहां कहीं संभव हो, ऐसे निर्वाचकों की फोटोग्राफी की जा सकती है तथा रिकार्ड रखे जा सकते हैं।
- च) निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान केन्द्र पर मत डालने के समय देश के बाहर के निर्वाचकों की पहचान उनके द्वारा प्रस्तुत मूल पासपोर्ट के आधार पर ही की जा सकती है।

35. मतदाता की पहचान को औपचारिक चुनौती

- 35.1 यदि पीठासीन अधिकारी सूची की अवहेलना करता हो तो आप व्यक्ति की पहचान को औपचारिक रूप से चुनौती दे सकते हैं बशर्ते कि आपको यह संतुष्टि हो जाती है कि संबंधित व्यक्ति किसी मतदाता का छदमरूपधारण कर रहा है।
- 35.2 भले ही मतदाता का नाम मृत, अनुपस्थित तथा कथित रूप से संदिग्ध मतदाताओं की उपर्युक्त सूची में न हो किन्तु आपको व्यक्तिगत जानकारी हो कि मतदाता का दावा करने वाला व्यक्ति वास्तविक मतदाता नहीं है तो आप उस व्यक्ति की पहचान को औपचारिक रूप से चुनौती दे सकते हैं।
- 35.3 प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है, वह निर्वाचन में मत डालने का पात्र है और यदि कोई व्यक्ति मतदाता का दावा कर रहा हो तथा अपना नाम और अन्य ब्योरा सही बता रहा हो तथा ई पी आई सी अथवा इस निर्वाचन विशेष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेजों प्रस्तुत कर रहा हो तो उसे सामान्यतः अमुक मतदाता माना जाता है। अतः आपको किसी मतदाता की पहचान को तभी चुनौती देने की सलाह दी जाती है जब आपको चुनौती दिए गए व्यक्ति की पहचान के बारे में विश्वास हो।

36. चुनौती शुल्क

- 36.1 पीठासीन अधिकारी किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा की गई किसी चुनौती पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि उसे चुनौतीकर्ता द्वारा 2/-रू नकद स्वरूप न दिए जाएं। इस राशि का भुगतान हो जाने के बाद पीठासीन अधिकारी निर्वाचक आयोग द्वारा विहित प्ररूप में चुनौतीकर्ता को एक पावती देगा।

37. किसी चुनौती की सरकारी जांच

- 37.1 जब किसी निर्वाचक की पहचान को किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा औपचारिक रूप से चुनौती दी जाएगी तो पीठासीन अधिकारी चुनौती दिए गए व्यक्ति को छदमरूपधारण करने के लिए शास्ति के बारे में चेतावनी देगा, निर्वाचक नामावली में संबंधित प्रविष्टि को पूर्ण रूप से पढ़कर सुनाएगा तथा उससे पूछेगा कि क्या उस प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्ति वही है, उसका नाम तथा पता अभ्याक्षेपित मतों की सूची में दर्ज करेगा (परिशिष्ट IV) और उसे उसके ऊपर

हस्ताक्षर करने अथवा अपने अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहेगा। यदि वह व्यक्ति जिसे चुनौती दी गई है, ऐसा करने से इनकार करेगा तो पीठासीन अधिकारी उसे मत डालने की अनुमति नहीं देगा।

37.2 अभ्याक्षेपित मतों की सूची में प्रविष्टियों को पीठासीन अधिकारी द्वारा पूरा किए जाने तथा उक्त सूची में प्रासंगिक स्तंभ में चुनौती दिए गए व्यक्ति का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान प्राप्त किए जाने के बाद वह चुनौतीकर्ता को यह प्रदर्शित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहेगा कि चुनौती दिया गया व्यक्ति अमुक मतदाता नहीं है जिसका वह दावा करता है। यदि चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहेगा तो पीठासीन अधिकारी चुनौती को खारिज कर देगा और चुनौती दिए गए व्यक्ति को मत डालने की अनुमति देगा। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सफल हो जाता है कि अभ्याक्षेपित व्यक्ति संबंधित मतदाता नहीं है तो पीठासीन अधिकारी मतदाता की चुनौती को निरस्त करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अर्थात् यह सिद्ध करने के लिए कहेगा कि वह मतदाता है जिसका वह दावा करता है। जांच-पड़ताल के क्रम में पीठासीन अधिकारी किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्तियों से आवश्यक प्रश्न पूछकर वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र है जो वह अपनी जांच-पड़ताल में सहायक समझता हो जैसे कि ग्राम अधिकारी, संबंधित मतदाता के पड़ोसी अथवा उपस्थित कोई अन्य व्यक्ति। ऐसे गवाह को अनुमति देते समय वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति अथवा शपथ लेने की पेशकश करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकता है।

37.3 जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद, यदि पीठासीन अधिकारी ऐसा समझता हो कि चुनौती स्थापित नहीं हुई है तो उसे अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मतदान के लिए अनुमति दे सकता है। तथापि, जहां उसका मानना हो कि चुनौती स्थापित हो गई है तो पीठासीन अधिकारी अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मतदान करने से वंचित कर देगा। उस स्थिति में पीठासीन अधिकारी को यह भी अनुदेश दिया गया है कि उस व्यक्ति को संबंधित पुलिस जो ड्यूटी पर हो, के हवाले एक शिकायत के साथ कर दे जो छदमरूपधारण संबंधी अपराध करने के लिए संबंधित व्यक्ति के अभियोजन के लिए उस पुलिस स्टेशन के एस एच ओ को संबोधित हो जिसमें वह मतदान केन्द्र आता हो।

38. चुनौती शुल्क वापिस पाना अथवा उससे वंचित रह जाना

38.1 जांच-पड़ताल समाप्त होने के बाद, यदि चुनौती स्थापित हो जाएगी तो पीठासीन अधिकारी उपर्युक्त संदर्भित(परिशिष्ट IV), अभ्याक्षेपित मतों की सूची में उपयुक्त स्तंभ (स्तंभ 10) में तथा पावती पुस्तिका में प्रासंगिक पावती के प्रतिपण पर उसकी पावती लेने के बाद चुनौतिकर्ता को 2/-रु का चुनौती शुल्क वापिस कर देगा।

38.2 तथापि, जहां कहीं पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि चुनौती तुच्छ थी अथवा नेकनियती से नहीं की गई थी तो वह चुनौती शुल्क को सरकार के पास जमा कर देगा और इसे चुनौतिकर्ता को वापिस नहीं करेगा।

39. निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय अथवा मुद्रण त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाना

39.1 किसी मतदाता के संबंध में निर्वाचक नामावली में यथा दर्ज ब्योरा कभी-कभी गलत ढंग से मुद्रित होता है अथवा पुराना हो जाता है उदाहरणार्थ मतदाता की आयु। आपको मुद्रित नामावली में मतदाता की आयु से संबंधित प्रविष्टि में मात्र छोटी-मोटी लिपिकीय अथवा मुद्रण त्रुटियों को नजरअंदाज करना चाहिए यदि आपको उस मतदाता की पहचान के बारे में अन्यथा विश्वास हो जाए। यदि निर्वाचक नामावली एक से अधिक भाषा में तैयार की गई हो और किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली की निशान लगी प्रति में शामिल न की गई हो तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मतदाता को मतदान करने की अनुमति देने का अनुदेश दिया गया है यदि उसका नाम निर्वाचक नामावली में दूसरी भाषा में प्रदर्शित होता हो। आपको ऐसे निर्वाचक के संबंध में कोई आपत्ति न करने की सलाह दी जाती है।

40. मतदाता की पात्रता जिस पर सवाल नहीं किया जाना है

40.1 प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली की निशान लगी प्रति में दर्ज है, निर्वाचन में मतदान करने का पात्र है। जब तक ऐसे व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई शक न होता हो, ऐसे व्यक्ति की मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होने की पात्रता के संबंध में पीठासीन अधिकारी के समक्ष मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।

41. नाबालिग मतदाताओं द्वारा मतदान करने के विरुद्ध एहतियातें

41.1 जैसाकि ऊपर कथित है, किसी ऐसे व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में शामिल है, की पात्रता पर मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता अथवा पूछाछ नहीं की जा सकती। तथापि, यदि पीठासीन अधिकारी को प्रथम दृष्टया मतदाता की पहचान के बारे में तथा साथ ही निर्वाचक नामावली में उसका नाम शामिल होने के तथ्य के बारे में संतुष्ट होता है किन्तु उसे ऐसा व्यक्ति मतदान करने की न्यूनतम आयु से कम लगता हो तो पीठासीन अधिकारी को आयोग द्वारा संबंधित व्यक्ति से उसकी आयु के बारे में विहित प्ररूप (परिशिष्ट V) में एक घोषणा प्राप्त करने का अनुदेश दिया गया है। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने से पूर्व, पीठासीन अधिकारी उसे निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल करने के संबंध में झूठी घोषणा करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में दण्डित उपबंधों से अवगत करेगा।

41.2 आप पीठासीन अधिकारी की जानकारी में ऐसे मतदाताओं के मामले ला सकते हैं जिनके नाम निर्वाचक नामावली में शामिल हैं किन्तु जो मतदान की आयु से काफी कम आयु के प्रतीत होते हैं ताकि पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं के संबंध में कार्रवाई कर सके जैसाकि ऊपर उल्लिखित है।

42. परोक्षी के जरिए मतदान: वर्गीकृत सेवा मतदाता

42.1 डाकमत के विकल्प के रूप में सशस्त्र बल के सेवामतदाता तथा उस बल के सदस्य जिनपर सैन्य अधिनियम, 1950 के उपबंध लागू होते हैं का परोक्षी अथवा डाकमत पत्रों के जरिए मतदान करने के विकल्प की सुविधा दी गई है। ऐसे सेवा मतदाता जो परोक्षी के जरिए मत देने का विकल्प देते हैं, को “वर्गीकृत सेवा मतदाता” (सी एस वी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। सी एस वी को एक ऐसे व्यक्ति को अपना परोक्षी नियुक्त करने की आवश्यकता होती है जो संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का निवासी हो। परोक्षी को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए और उसे निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण से अर्नह नहीं किया जाएगा। नियुक्ति प्ररूप 13च में की जाएगी। एक बार की गई नियुक्ति सभी भावी निर्वाचनों के लिए तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक नियुक्ति करने वाला व्यक्ति सेवा मतदाता बना रहता हो अथवा यह नियुक्ति का प्रतिसंहरण किए जाने अथवा परोक्षी की मृत्यु हो जाने तक विधिमान्य रहेगी। सी एस वी के पास नियुक्ति का प्रतिसंहरण करने तथा पूर्ववर्ती परोक्षी की मृत्यु होने पर अथवा अन्य कारणों से नए परोक्षी को नियुक्त करने का विकल्प होता है। नियुक्ति का ऐसा प्रतिसंहरण नव अंतः स्थापित प्ररूप 13छ में किया जाना होता है।

42.2 सी एस वी द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सूचना मिलने पर रिटर्निंग आफिसर निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में सेवा मतदाता के नाम के सामने “सी एस वी” अक्षर अंकित कर देगा जिससे कि यह निर्दिष्ट हो कि निर्वाचक ने उसकी ओर से मत डालने के लिए एक परोक्षी की नियुक्ति की है। अगले आरंभिक निर्वाचन में परोक्षी मतदान की सुविधा का उपयोग करने के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग आफिसर तक उस निर्वाचन में नामनिर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक पहुँच जानी चाहिए। रिटर्निंग आफिसर सी एस वी तथा उनके परोक्षियों की एक अलग सूची भी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप एवं रीति से उनके पूर्ण पते के साथ रखेगा। नामनिर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद रिटर्निंग आफिसर सभी सी एस वी तथा उनके परोक्षियों की मतदान केन्द्रवार उपसूचियां तैयार करेगा। मतदान केन्द्रवार उपसूची रखने के लिए आयोग द्वारा विहित फार्मेट परिशिष्ट VI के रूप में संलग्न है। ये उपसूचियां संबंधित मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली के भाग के आखिर में जोड़ी जाएंगी और उपसूची के साथ निर्वाचक नामावली का भाग उस मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचक नामावली की निशान लगी प्रति होगी।

42.3 परोक्षी उस मतदान केन्द्र जो सी एस वी को दिया गया है, पर सी एस वी की ओर से मत उसी प्रकार दर्ज करेगा जिस तरह से उस मतदान केन्द्र से संबद्ध कोई अन्य निर्वाचक करता हो। ध्यातव्य है कि परोक्षी के मामले में नियम 37 के अधीन अमिट स्याही परोक्षी के बायें हाथ की मध्यमा पर लगाई जाएगी। परोक्षी अपने नाम से उस मतदान केन्द्र जिससे वह सामान्य रूप से संबद्ध है, पर मत डालने यदि वह निर्वाचक क्षेत्र में रजिस्टर्ड निर्वाचक है, के अतिरिक्त सी एस वी की ओर से मतदान करने का पात्र होगा।

42.4 सी एस वी जिसने परोक्षी नियुक्त किया है, को डाक मत नहीं जारी किया जाएगा।

43. दृष्टिविहीन अथवा अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान

43.1 यदि पीठासीन अधिकारी को विश्वास हो जाता है कि कोई मतदाता दृष्टिविहीन होने अथवा अशक्तता के कारण वोटिंग मशीन की बैलटिंग यूनिट पर लगे मत पत्र पर चिन्हों को पहचानने में अथवा सहायता बगैर उसपर अपना मत दर्ज करने में असमर्थ है, तो वह मतदाता को उसकी ओर से तथा उसकी इच्छाओं के अनुरूप मत दर्ज करने के लिए अपने

साथ मतदान कक्ष में न्यूनतम 18 वर्ष की आयु का वयस्क साथी ले जाने की अनुमति देगा। किन्तु मतदाता की निरक्षरता उसकी ओर से मत दर्ज करने के लिए उसे साथी की सहायता के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी मतदान कार्मिक उसकी ओर से मत दर्ज करने के लिए साथी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

43.2 दृष्टि अभ्याक्षिप्त (दृष्टि विहीन) व्यक्तियों की सुविधा के लिए निर्वाचन लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए नीले बटन की दाहिनी ओर बैलट यूनिट (बी यू) शीर्ष आवरण पर ब्रेल संकेत (1 से 16) में संख्या दी गई है। यह सुविधा 2006 के बाद की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ही उपलब्ध है।

43.3 कोई अभ्यर्थी उसका निर्वाचन अभिकर्ता अथवा मतदान अभिकर्ता भी (बशर्ते कि वह 18 वर्ष की आयु से कम न हो) किसी दृष्टिविहीन अथवा अशक्त मतदाता के ऐसे साथी के रूप में कार्य कर सकता है। किन्तु वह उस दिन केवल एक निर्वाचक के ऐसे साथी के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसे साथी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति से विहित प्ररूप (परिशिष्ट- VI) में इस आशय की एक घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा दर्ज मत की गोपनीयता रखेगा तथा यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी आप निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य न किया हो।

44. निविदत्त मत

44.1 ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो निर्वाचक होने का दावा करता हो मतदान करने तब आता हो जब किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसे निर्वाचक के रूप में पहले ही मतदान कर दिया हो। उस मामले में यदि पीठासीन अधिकारी का आवश्यक पूछताछ करने के बाद ऐसे व्यक्ति के बारे में यह विश्वास हो जाता हो कि वही वास्तविक मतदाता है तो पीठासीन अधिकारी उसे निविदत्त मत पत्र के जरिए न कि वोटिंग मशीन के जरिए मतदान करने की अनुमति देगा। उस प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी निविदत्त मतों की सूची में आवश्यक प्रविष्टि करेगा (निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के साथ संलग्न प्ररूप 17ख) तथा उस पर मतदाता का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लेगा। मतदाता को एक मत-पत्र दिया जाएगा जो वोटिंग मशीन के बैलटिंग यूनिट पर लगे मत पत्र के सदृश होगा तथा इसके पीछे 'निविदत्त मत पत्र' शब्दों का स्टाम्प लगा होगा अथवा ये लिखे हुए होंगे। निर्वाचक तीर के निशान के रबर स्टाम्प जिसका इस्तेमाल मतदान की परम्परागत निशान प्रणाली के अधीन मत पत्र पर निशान लगाने के लिए किया जाता है के जरिए एक निशान लगा कर निविदत्त मत पत्र पर अपना मत दर्ज करेगा। मतदान कक्ष में मतदाता द्वारा निशान लगा देने तथा मोड़ देने के बाद ऐसा निविदत्त मत पीठासीन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा जो इस प्रयोजनार्थ विशेषतौर पर रखे गए आवरण में अलग से रखेगा।

45. मतदान न करने का निर्णय लेने वाले निर्वाचक

45.1 यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं के रजिस्टर में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या दर्ज होने (प्ररूप 17क) तथा उस रजिस्टर पर उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लग जाने के बाद मतदान न करने का निर्णय लेता है तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य अथवा विवश नहीं किया जाएगा। इस आशय कि एक अभ्युक्ति कि उसने अपना मत दर्ज न करने का निर्णय लिया है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तंभ में "मतदान करने से इनकार किया" दर्ज किया जाएगा तथा निर्वाचक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान नियम 49-ण के अधीन ऐसी अभ्युक्ति के सामने लिया जाएगा। मतदाता रजिस्टर के स्तंभ में निर्वाचक की क्रम संख्या अथवा किसी उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी मतदाता द्वारा बैलटिंग यूनिट पर मत डालने के लिए कंट्रोल यूनिट पर "बैलट" बटन दबाया गया है और वह मत डालने से इनकार कर देता हो तो पीठासीन अधिकारी/तीसरा मतदान अधिकारी जो कोई कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा, को अगले मतदाता को अपना मत देने के लिए मतदान कक्ष में सीधे बढ़ने का निर्देश देना चाहिए अथवा कंट्रोल यूनिट के पिछले कक्ष में "पावर" स्विच को "आफ" स्थिति में और फिर "आन" स्थिति में रखना चाहिए "बैलट" बटन को दबाना चाहिए तथा अगले मतदाता को अपना मत दर्ज करने के लिए मतदाता को मतदान कक्ष में सीधे बढ़ने के लिए निर्देश देना चाहिए। यदि कंट्रोल यूनिट पर "बैलट" बटन बैलटिंग यूनिट पर मत डालने के लिए दबायी जाती हो और अंतिम मतदाता मतदान करने से मना कर देता हो तो पीठासीन अधिकारी/तीसरा मतदान अधिकारी जो कोई कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हो, पावर स्विच को कंट्रोल यूनिट के पिछले कक्ष में "आफ" स्थिति में रखेगा तथा बैलटिंग यूनिट (यूनिटों) को कंट्रोल यूनिट से अलग कर देगा। कंट्रोल यूनिट से बैलटिंग यूनिट को अलग करने के बाद "पावर" स्विच को पुनः "आफ" स्थिति पर रखा जाना चाहिए। अब "व्यस्त" लैम्प बंद हो जाएगा और "क्लोज" बटन मतदान की समाप्ति करने के लिए क्रियाशील हो जाएगा।

45.2 जो निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के लिए मत न डालने की इच्छा रखते हैं, वे अपने निर्णय की गोपनीयता भंग किए बगैरे किसी अभ्यर्थी के लिए मतदान न करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। “उपर्युक्त में से कोई नहीं - नोटा” शब्दों के साथ एक बैलट पैनल मत डालने के लिए उपलब्ध होता है।

46. पेपर ट्रेल पर मुद्रित ब्योरे के बारे में शिकायत की स्थिति में क्रियाविधि

जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है वहां यदि कोई निर्वाचक अपना मत दर्ज करने के बाद आरोप लगाता है कि प्रिंटर द्वारा सृजित पेपर ट्रेल में उस अभ्यर्थी जिसे उसने मतदान किया है, के अलावा किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम अथवा चिन्ह प्रदर्शित हुआ है तो पीठासीन अधिकारी उस निर्वाचक को झूठी घोषणा करने के परिणाम के बारे में उसे चेतावनी देने के बाद आरोप के संबंध में उससे एक लिखित घोषणा प्राप्त करेगा। यदि निर्वाचक लिखित घोषणा करेगा तो पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उस निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करेगा तथा निर्वाचक को अपनी तथा अभ्यर्थियों अथवा मतदान अभिकर्ताओं जो मतदान केन्द्र में मौजूद हो, तथा प्रिंटर द्वारा सृजित कागज की पर्ची का प्रेक्षण कर सकते हैं। यदि आरोप सही पाया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी इन तथ्यों की तत्काल सूचना रिटर्निंग आफिसर को देगा, उस मशीन में मतों को आगे दर्ज करना रोक सकता है तथा उस निर्देश के अनुसार कार्य कर सकता है जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिए जाएं। तथापि, यदि आरोप सही पाया जाता है तथा इस तरह सृजित कागज की पर्ची निर्वाचक द्वारा दर्ज जांच मत से मेल खाती हो तो पीठासीन अधिकारी-

- (i) उस निर्वाचक के संबंध में दूसरी प्रविष्टि के सामने इस आशय की अभ्युक्ति प्ररूप 17क में करेगा जिसमें उस अभ्यर्थी की क्रम संख्या तथा नाम का उल्लेख हो जिसके लिए ऐसा जांच मत दर्ज किया गया है।
- (ii) ऐसी अभ्युक्ति के सामने उस निर्वाचन का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लेगा; तथा
- (iii) प्ररूप 17ग के भाग I में मद 5 में ऐसे जांच मत के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।

47. मतदान की गोपनीयता भंग करना

47.1 प्रत्येक निर्वाचक जिसे अपने मत दर्ज करने की अनुमति दी गई हो, से मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखने तथा विहित मतदान क्रियाविधि का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई निर्वाचक पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे दी गई चेतावनी के बाद भी मतदान की गोपनीयता कायम रखने से और मतदान क्रियाविधि का अनुपालन करने से इनकार करता हो तो उसे पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी द्वारा उसके निर्देश के अधीन मत डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसे निर्वाचक को मतदाता पर्ची पहले से ही जारी की गई है तो उससे वापस ले ली जाएगी और रद्द कर दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में इस आशय की अभ्युक्ति करेगा- “ मतदान करने की अनुमति नहीं - मतदान क्रियाविधि का उल्लंघन किया गया”। तथापि उस रजिस्टर के स्तंभ I में उस निर्वाचक अथवा किसी उत्तरवर्ती निर्वाचकों की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।

48. मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी की प्रविष्टि

48.1 कभी-कभी पीठासीन अधिकारी को संदेह हो सकता है अथवा संदेह करने का कारण हो सकता है कि स्क्रीन लगे मतदान कक्ष में रखी गई बैलटिंग यूनिट समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है अथवा कोई निर्वाचक जिसने मतदान कक्ष में प्रवेश किया है, बैलटिंग यूनिट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है अथवा अन्यथा उसके साथ दस्तंदाजी कर रहा है अथवा वह मतदान कक्ष के भीतर अनुचित रूप से लंबी अवधि तक रहा है। पीठासीन अधिकारी के पास नियम 49छ के अधीन ऐसे मामलों में मतदान कक्ष में प्रवेश करने तथा उसके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले उपाय करने का अधिकार रहता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैलटिंग यूनिट के साथ किसी भी तरह को छेड़छाड़ नहीं की जाती हो अथवा इसके कार्यकरण में व्यवधान नहीं डाला गया है तथा मतदान की प्रक्रिया निर्बाध एवं व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ती है।

48.2 जब कभी पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा, वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को उसके साथ चलने की अनुमति देगा यदि उनकी ऐसी इच्छा हो।

48.3 यदि यह संदेह हो कि मतदाता मतदान कक्ष के भीतर ई वी एम के साथ दस्तंदाजी कर रहा है तथा मतदान कक्ष में अत्यधिक लंबे समय तक रहता है तो पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं की सोच में भ्रम पैदा होने से बचने के लिए मतदान कक्ष की ओर बढ़ते हुए मतदान अभिकर्ताओं में से एक को उसके साथ चलने के लिए कह सकता है।

49. समापन समय में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान

49.1 पीठासीन अधिकारी इस प्रयोजनार्थ नियत समय पर मतदान केन्द्र बंद कर देगा तथा उसके बाद किसी निर्वाचक को मतदान केन्द्र के भीतर आने की अनुमति नहीं देगा। किन्तु मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी निर्वाचकों को, मतदान केन्द्र बंद होने से पूर्व, मत डालने की अनुमति दी जाएगी भले ही उस प्रयोजनार्थ मतदान विनिर्दिष्ट समापन समय के बाद भी जारी रखा जाना हो। उपर्युक्त प्रयोजनार्थ, पीठासीन अधिकारी विनिर्दिष्ट समापन समय कतार में खड़े तथा मतदान करने के लिए प्रतिक्षारत सभी मतदाताओं को उसके द्वारा पूर्णरूपेण हस्ताक्षरित तथा 1 से आगे की संख्यांकित पर्चियां वितरित करेगा। वह किसी व्यक्ति को उसके बाद कतार में आने की अनुमति नहीं देगा तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए वह उपर्युक्त पर्चियां ऐसे मतदाताओं को कतार के पीछे से तथा आगे की ओर बढ़ते हुए वितरित करना शुरू करेगा।

50. मतदान की समाप्ति

50.1 पीठासीन अधिकारी अंतिम मतदाता द्वारा अपना मत दर्ज किए जाने के बाद मतदान समाप्त कर देगा, ताकि मशीन में कोई और मत दर्ज करना संभव न हो। इस प्रयोजनार्थ, पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर 'क्लोज' बटन दबाएगा और पावर स्विच को 'आफ' स्थिति में सेट करेगा और कंट्रोल यूनिट बैलटिंग यूनिट (यूनिटों) से अलग कर देगा। जब क्लोज बटन दबाया जाता है तो कंट्रोल यूनिट पर डिस्पले पैनल प्री-2006 ई वी एम में मतदान की समाप्ति वोटिंग मशीन में दर्ज मतों की कुल संख्या प्रदर्शित होगी तथा 2006 के बाद की ई वी एम में "मतदान समाप्त" प्रदर्शित होगा। अब वोटिंग मशीन कोई और मत स्वीकार नहीं करेगी।

50.2 मशीन में दर्ज मतों की कुल संख्या पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 17ग में दर्ज मतों के लेखे में तत्काल नोट कर लिया जाएगा।

दर्ज मतों (प्ररूप 17 ग) के लेखे की प्रति की पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुति

50.3 निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49ध में उपबंध है कि पीठासीन अधिकारी को मतदान की समाप्ति पर विहित प्ररूप 17ग में वोटिंग मशीन में दर्ज मतों का लेखा तैयार करना चाहिए। एक नमूना प्ररूप 17ग परिशिष्ट VIII में दिया गया है। उपर्युक्त नियम द्वारा उससे भी अपेक्षित है कि वह मतदान की समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को लेख की प्रमाणित प्रति उससे उसपर पावती प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत करे। अतः आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप पीठासीन अधिकारी से उक्त लेखे की एक प्रति लें क्योंकि मतों की गिनती के समय उनके अभ्यर्थियों द्वारा ऐसे लेखे की अत्यधिक आवश्यकता होगी। प्रत्येक मतदान अभिकर्ता जिसे पीठासीन अधिकारी से उक्त लेखे की प्रति प्राप्त हो, को आयोग द्वारा विहित घोषणा-पत्र (परिशिष्ट III - भाग III) के प्ररूप पर हस्ताक्षर करना चाहिए जिसपर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर घोषणा की जानी होगी। यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपर्युक्त लेखे की प्रति लेने से मना करेगा तो पीठासीन अधिकारी उपर्युक्त घोषणा-पत्र में ऐसे मतदान अभिकर्ता का नाम लिख लेगा।

मतदान की समाप्ति के बाद वोटिंग मशीन को सील किया जाना

50.4 मतदान समाप्त होने तथा मतदान मशीन में दर्ज मतों के लेखे प्ररूप 17ग में तैयार किए जाने तथा उपस्थित मतदाता अभिकर्ताओं को उसकी प्रतियां प्रस्तुत किए जाने के बाद, वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी द्वारा गणना/संग्रहण केन्द्र ले जाने हेतु सील एवं सुरक्षित रखा जाएगा।

50.5 वोटिंग मशीन को सील करने तथा सुरक्षित रखने के लिए बैलटिंग यूनिट (यूनिटों), कंट्रोल यूनिट तथा ड्राप बाक्स के साथ पेपर ट्रेल जहां वी वी पी ए टी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, को अलग कर दिया जाएगा तथा कंट्रोल यूनिट में पावर स्विचको स्विच आफ कर दिया जाएगा। बैलटिंग यूनिट (यूनिटों), कंट्रोल यूनिट तथा ड्राप बाक्स के साथ पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर को वापस उनके अपने कैरिंग केस में रखा जाएगा। तत्पश्चात् कैरिंग केस के दोनों सिरों को सील किया जाएगा जिसपर पीठासीन अधिकारी की मुहर एक पते के टैग पर लगी होगी जिसपर निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र का ब्योरा दर्शाया गया हो।

- 50.6 अभ्यर्थी अथवा उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हैं तथा कैरिंग केस पर अपनी मुहर लगाने के लिए इच्छुक है, को ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।
- 50.7 अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं जिन्होंने बैलटिंग यूनिट (यूनिटों), कंट्रोल यूनिट तथा ड्राप बॉक्स के साथ पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर के कैरिंग केस पर अपनी मुहर लगाई है, के नाम घोषणा जो वह परिशिष्ट IV के भाग IV के तहत मतदान की समाप्ति के समय देगा, में नोट कर लिए जाएंगे।
निर्वाचन दस्तावेजों को सील किया जाना - मतदान अभिकर्ताओं द्वारा उन पर सील लगाना
- 50.8 मतदान की समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप अलग-अलग पैकेटों में सभी निर्वाचन दस्तावेजों को भी सील करेगा। मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को लिफाफों तथा पैकेटों जिनमें निम्नलिखित दस्तावेज निहित होते हैं, पर पीठासीन अधिकारी की सील के अलावा अपनी सील लगाने की भी अनुमति दी जाती है:-
- (i) निर्वाचक नामावली की निशान लगी प्रति
 - (ii) मतदाताओं का रजिस्टर
 - (iii) मतदाता पर्चियां
 - (iv) निविदत्त मत पत्र तथा प्ररूप 17ख में निविदत्त मतों की सूची
 - (v) अप्रयुक्त निविदत्त मत पत्र
 - (vi) अभ्याक्षेपित मतों की संख्या
 - (vii) अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त कागजी मुहर, यदि कोई हो;
 - (viii) मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र; तथा
 - (ix) कोई अन्य कागज जिसे सीलबंद पैकेट में रखे जाने हेतु रिटर्निंग आफिसर ने निर्देश दिया है।
- 50.9 आपको आपके अभ्यर्थी के हित में निर्वाचन दस्तावेजों के उपयुक्त पैकेटों पर अपनी मुहर लगाने की सलाह दी जाती है।
51. **वोटिंग मशीन तथा निर्वाचन दस्तावेजों को संग्रहण/भंडारण केन्द्र ले जाया जाना**
- 51.1 वोटिंग मशीन तथा सभी निर्वाचन दस्तावेज पीठासीन अधिकारी द्वारा सीलबंद एवं सुरक्षित रखे जाने के बाद वह उन्हें संग्रहण/भंडारण केन्द्र पर वितरित करेगा अथवा वितरित करवाएगा।
52. **पोलिंग एजेंट वोटिंग मशीन को ले जाने वाले वाहनों के साथ**
- 52.1 आपको मतदान अभिकर्ताओं के रूप में उस वाहन के साथ जाने की अनुमति दी जाती है जिसमें वोटिंग मशीन तथा निर्वाचन दस्तावेज संग्रहण/भंडारण केन्द्र ले जाए जाने हैं। किन्तु आपको अपनी यातायात व्यवस्थाएं करनी होंगी तथा वोटिंग मशीन तथा निर्वाचन दस्तावेजों को ले जा रहे वाहन में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
53. **दंगा, बूथ कैप्चरिंग इत्यादि के लिए मतदान का स्थगन**
- 53.1 यदि मतदान की सामान्य रूप से समाप्ति से पूर्व कोई दंगा हो जाता है अथवा हिंसा की कोशिश की जाती है तथा स्थिति पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण से बाहर हो जाती है जिससे मतदान को जारी रखना संभव नहीं हो अथवा बूथ पर कब्जा किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी मतदान को स्थगित अथवा बंद कर सकता है। वह मतदान को स्थगित अथवा बंद तब भी कर सकता है यदि वोटिंग मशीन के साथ गैर कानूनी ढंग से छेड़छाड़ की जाती हो अथवा किसी प्राकृतिक आपदा अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान का संचालन असंभव हो जाता है। मतदान केन्द्र में थोड़ी बारिश अथवा तेज हवा अथवा छोटे-मोटे व्यवधान मतदान के स्थगन के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा। केन्द्रों पर मतदान स्थगन का आदेश दिया जा सकता है जहां मतदान दो घंटे तक शुरू नहीं हो पाता है। उपर्युक्त कारण मतदान की कार्यवाही के अस्थायी आस्थगन मतदान के औपचारिक स्थगन का कारण नहीं बनेगा। जहां कहीं मतदान को औपचारिक रूप से स्थगित अथवा बंद किया जाएगा वहां पीठासीन अधिकारी सभी उपस्थितों के समक्ष घोषणा करेगा कि मतदान बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को किया जाएगा। उसके बाद वह मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वोटिंग मशीन एवं निर्वाचन रिकार्ड को सीलकर देगा एवं सुरक्षित रखेगा मानो मतदान सामान्य तरीके से समाप्त हो गया हो।

54. मतदान केन्द्र में अथवा उसके निकट उपद्रवपूर्ण आचरण

54.1 प्रत्येक व्यक्ति से मतदान केन्द्र में तथा उसके निकट शिष्टतापूर्वक आचरण करने तथा पीठासीन अधिकारी के विधिक निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। आपको मतदान केन्द्र में अपने आचरण में पूर्ण अनुशासन एवं शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अशिष्टतापूर्वक व्यवहार करता है अथवा दुर्व्यवहार करता है अथवा पीठासीन अधिकारी के विधिक निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता हो तो पीठासीन अधिकारी का ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र से हटाए जाने का प्राधिकार है। यदि ऐसा व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बगैर मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता हो तो उसे गिरफ्तार भी करवाया जा सकता है उस पर तथा निर्वाचन अपराध के लिए मुकदमा भी चलाया जा सकता है जिसके लिए उसे दो माह तक के कारावास जिसे बढ़ाकर 3 माह किया जा सकता है तथा अर्थदंड अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951) की धारा 132)।

55. वोटिंग मशीन को मतदान केन्द्र से हटाना अथवा इसकी सील के साथ छेड़छाड़ करना एक अपराध है

55.1 कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में वोटिंग मशीन को कपटपूर्ण ढंग से अथवा अप्राधिकृत रूप से मतदान केन्द्र से बाहर ले जाता है अथवा ले जाने की चेष्टा करता है अथवा ऐसे किसी कृत्य में जानबूझकर सहायता करता है अथवा ऐसा करने के लिए उकसाता है तो वह एक निर्वाचन अपराध करता है। यह अपराध संज्ञेय है और यह दण्डनीय है जिसके लिए एक अवधि जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 5000 रु तक के अर्थदंड अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951) की धारा 61क के स्पष्टीकरण के साथ पठित धारा 135)।

55.2 उसी प्रकार बिना यथोचित प्राधिकार के वोटिंग मशीन लेना अथवा उसे अपने स्वामित्व में रखना अथवा किसी वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ करना भी एक संज्ञेय निर्वाचन अपराध है जिसके लिए एक अवधि के कारावास जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा अर्थदंड अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है (उपर्युक्त की धारा 136)

56. वोट मांगने पर रोक

56.1 मतदान केन्द्र के 100मी. के भीतर वोट मांगना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हो तो उसे पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अधीन उसपर मुकदमा चलाया जा सकता है। उसी प्रकार, आयोग के निर्देशों के अधीन मतदान केन्द्र के 200मी. भीतर अभ्यर्थियों द्वारा मतदान के दिन शिविर लगाना प्रतिषिद्ध है और यदि ऐसे निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे शिविर लगाए जाते हैं तो प्राधिकारी उन्हें हटा देंगे।

परिशिष्ट-1
(पैरा 7.1)
प्ररूप 10
[नियम 13(2) देखें]
*मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

**..... के लिए निर्वाचन

मैं.....का अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, एतद द्वारा मैं(नाम एवं पता
.....को मतदान केन्द्र सं.के लिए नियत मतदान
- में उपस्थित रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता है
स्थान:..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर
तारीख:.....
मैं मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु सहमत हूँ।
स्थान:.....
तारीख:.....

मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित होने के लिए मतदान अभिकर्ता की घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 द्वारा प्रतिबद्ध कुछ भी नहीं
करूंगा/करूंगी जिसे मैंने पढ़ा है। मुझे पढ़कर सुनाया गया है।

हस्ताक्षरित
मेरे समक्ष मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

तारीख:

तारीख:

*मतदान केन्द्र में अथवा मतदान के लिए नियत स्थान पर सुपुर्दगी के लिए मतदान अभिकर्ता को सौंपा जाना है

*यहां निम्नलिखित विकल्पों में से एक अंतः स्थापित करें जो उपयुक्त हो:

- (1)निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा
- (2) निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा
- (3) विधान सभा (राज्य) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा
- (4) निर्वाचक मंडल (संघ राज्य क्षेत्र) के सदस्यों द्वारा राज्य सभा
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधानपरिषद
- (6)निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

#लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128

“मतदान की गोपनीयता कायम रखना:- (1) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता अथवा अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतों को दर्ज करने
अथवा उनकी गिनती करने के संबंध में कोई कार्य का निष्पादन करता है वह मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा तथा बनाए रखने में सहायता
करेगा और ऐसी गोपनीयता भंग करने के लिए परिकल्पित कोई सूचना किसी व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करेगा (किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अथवा
उसके अधीन कुछ प्रयोजनों के सिवाय)

(2) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, को कारावास जिसे तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा अर्थदंड अथवा
दोनों की सजा दी जा सकती है।

परिशिष्ट - 1(क)
(पैर 7.2 से 7.4 देखें)
अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूनों के लिए फार्मेट

*सामान्य/द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन----- (माह/वर्ष)

*विधान सभा सं एवं नाम

निर्वाचन क्षेत्र _____ लोक सभा

निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद -

(*जो भी लागू हो उसे काट दें)

निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरों के नमूने मतदान के समय मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके हस्ताक्षर के सत्यापन के प्रयोजनार्थ नीचे दिए गए हैं:-

निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों का नाम, नमूना हस्ताक्षर निर्वाचन अभिकर्ता नमूना हस्ताक्षर

1. श्री/श्रीमती/सुश्री/

(अभ्यर्थी सं. 1) _____ श्री/श्रीमती/सुश्री _____

2. श्री/श्रीमती/सुश्री/

(अभ्यर्थी सं. 2) _____ श्री/श्रीमती/सुश्री _____

3. श्री/श्रीमती/सुश्री/

(अभ्यर्थी सं. 3) _____ श्री/श्रीमती/सुश्री _____

इत्यादि

इत्यादि

स्थान:..... हस्ताक्षर

दिनांक:..... (मुहर)

रिटर्निंग आफिसर

परिशिष्ट - II
(पैरा - 8.1 देखें)
[(नियम 14(1) देखें)]
प्ररूप 11
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

.....*के लिए निर्वाचन

सेवा में, पीठासीन अधिकारी

मैं.....

(.....का निर्वाचन अभिकर्ता

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी एतद्वारा मेरे/अपने मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करता है।

स्थान :

दिनांक :

प्रतिसंहरण करने वाले के हस्ताक्षर

*यहां निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प जो उपयुक्त हो अंतः स्थापित करें

- (1)निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा
- (2) निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा
- (3) (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) (संघ राज्य क्षेत्र) के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5)विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद
- (6)निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद

ध्यान दें: () अंकित शब्दों को आवश्यक हो तो हटा दें।

परिशिष्ट - III
पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा
भाग - I (पैरा 28-1)

मतदान शुरू होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

.....संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या एवं नाम

मतदान की तारीख

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ:

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित कर दिया है:

(क) छदम मतदान करके प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीन बिल्कुल चालू स्थिति में है और यह कि उससे पहले से कोई मत दर्ज नहीं है।

(ख) कि मतदान के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली निर्वाचक नामावली की निशान लगी प्रति में डाक मत पत्र तथा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त निशानों को छोड़कर कोई अन्य निशान नहीं है:

(ग) कि मतदान के दौरान प्रयुक्त होने वाले मतदाता रजिस्ट्रों (प्ररूप 17क) में किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि निहित नहीं है:

(2) कि मैंने वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त कागजी मुहर (मुहरों) पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है और उन पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर ले लिए हैं जो उपस्थित हैं और अपने हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक हैं।

(3) कि मैंने विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है तथा मैंने विशेष टैग के पिछले भाग में अपना हस्ताक्षर कर दिया है और उन पर ऐसे अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर ले लिए हैं जो उपस्थित हैं और अपने हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक हैं।

(4) कि मैंने स्ट्रिप सील पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है और उसपर ऐसे अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर ले लिए हैं जो उपस्थित हैं और अपना हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक हैं।

(5) कि मैंने विशेष टैग की पूर्व-मुद्रित क्रम संख्या पढ़ कर सुनायी है और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है

हस्ताक्षर - मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर: पीठासीन अधिकारी

1	(अभ्यर्थी	का	2	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
3	(अभ्यर्थी	का	4	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
5	(अभ्यर्थी	का	6	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
7	(अभ्यर्थी	का	8	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
9	(अभ्यर्थी	का			
.....)					

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) ने इस घोषणा-पत्र पर अपना/अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया:

1	(अभ्यर्थी	का	2	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
3	(अभ्यर्थी	का	4	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		

हस्ताक्षर

तारीख

पीठासीन अधिकारी-

भाग-11

उत्तरवर्ती वोटिंग मशीन, यदि कोई हो, के इस्तेमाल के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

मतदान शुरू होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

..... संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या एवं नाम

मतदान की तारीख

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ:

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित कर दिया है:

(क) छद्म मतदान करके प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीन बिल्कुल चालू स्थिति में है और यह कि उससे पहले से कोई मत दर्ज नहीं है।

(ख) कि मतदान के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली निर्वाचक नामावली की निशान लगी प्रति में डाक मत पत्र तथा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त निशानों को छोड़कर कोई अन्य निशान नहीं है:

(ग) कि मतदान के दौरान प्रयुक्त होने वाले मतदाता रजिस्ट्रों (प्ररूप 17क) में किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि निहित नहीं है:

(2) कि मैंने वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त कागजी मुहर (मुहरों) पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है और उन पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर ले लिए हैं जो उपस्थित हैं और अपने हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक हैं।

(3) कि मैंने विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है तथा मैंने विशेष टैग के पिछले भाग में अपना हस्ताक्षर कर दिया है और उन पर ऐसे अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर ले लिए हैं जो उपस्थित हैं और अपने हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक हैं।

(4) कि मैंने स्ट्रिप सील पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है और उसपर ऐसे अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर ले लिए हैं जो उपस्थित हैं और अपना हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक हैं।

(5) कि मैंने विशेष टैग की पूर्व-मुद्रित क्रम संख्या पढ़ कर सुनायी है और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है

हस्ताक्षर – मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर: पीठासीन अधिकारी

1(अभ्यर्थी	का	2(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
3(अभ्यर्थी	का	4(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
5(अभ्यर्थी	का	6(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
7(अभ्यर्थी	का	8(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
9(अभ्यर्थी	का			
.....)					

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) ने इस घोषणा-पत्र पर अपना/अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया:

1(अभ्यर्थी	का	2(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
3(अभ्यर्थी	का	4(अभ्यर्थी	का
.....)		)		

हस्ताक्षर

तारीख

पीठासीन अधिकारी-

भाग III
मतदान की समाप्ति पर घोषणा

मैंने निर्वाचन का संचालन, 1961 के नियम 49-ध (2) के अधीन यथा अपेक्षित प्ररूप 17ग के "भाग-I-दर्ज मतों का लेखा"में प्रविष्टियों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति उन मतदान अभिकर्ताओं को प्रस्तुत कर दी है जो मतदान की समाप्ति के समय मतदान केन्द्र पर थे तथा जिनके हस्ताक्षर नीचे किए हुए हैं।

तारीख

समय

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

मैंने दर्ज मतों के लेखों में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति प्राप्त की (प्ररूप 17ग का भाग I)

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:

1	(अभ्यर्थी	का	2	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
3	(अभ्यर्थी	का	4	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
5	(अभ्यर्थी	का	6	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
7	(अभ्यर्थी	का	8	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
9	(अभ्यर्थी	का			
.....)					

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं जो मतदान की समाप्ति के समय उपस्थित थे ने प्ररूप 17ग के भाग I की प्रमाणित प्रति लेने से तथा इसकी पावती देने से मना कर दिया और इसलिए उस प्ररूप की प्रमाणित प्रति उन्हें नहीं दी गई।

1	(अभ्यर्थी	का	2	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
3	(अभ्यर्थी	का	4	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
5	(अभ्यर्थी	का	6	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
7	(अभ्यर्थी	का	8	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
9	(अभ्यर्थी	का			
.....)					

तारीख

समय

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

भाग IV
वोटिंग मशीन सील करने केबाद घोषणा

मैंने अपनी मुहर लगा दी है तथा मैंने मतदान की समाप्ति पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट तथा बैलटिंग यूनिटों के कैरिंग केस पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति दे दी है।

तारीख

हस्ताक्षर

समय

पीठासीन अधिकारी

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुहरें लगा दी है
मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:

1	(अभ्यर्थी	का	4	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
2	(अभ्यर्थी	का	5	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
3	(अभ्यर्थी	का	6	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुहरें लगाने से इनकार कर दिया अथवा वे लगाना नहीं चाहते थे:

1	(अभ्यर्थी	का	3	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		
2	(अभ्यर्थी	का	4	(अभ्यर्थी	का
.....)		)		

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

तारीख

परिशिष्ट IV
(पैरा 38.1 देखें)
प्ररूप 14
अभ्याक्षेपित मतों की सूची
[नियम 36 (2) (ग) देखें]

.....निर्वाचन क्षेत्र से *का निर्वाचन
मतदान केन्द्र

क्रम संख्या	निर्वाचक का नाम	नामावली का भाग	उस भाग में निर्वाचक का नाम	अभ्याक्षेपित व्यक्ति का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान	अभ्याक्षेपित व्यक्ति का हस्ताक्षर	पहचानकर्ता यदि कोई हो का पता	चुनौतीकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	जमा वापस पाने वाले चुनौतीकर्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

तारीख

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर

*निर्वाचन का उपयुक्त ब्योरा यहां अंतः स्थापित किया जाना है

परिशिष्ट V
(पैरा 41.1 देखें)
निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्ररूप

मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा और अभिपुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मेरी आयु पहली जनवरी को 18वर्ष से अधिक थी। मुझे निर्वाचक नामावली को तैयार करने, संशोधन अथवा संशुद्धि के संबंध में झूठी घोषणा करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31के दंडिक उपबंधों की जानकारी है।

निर्वाचक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

.....
पिता/माता/पति का नाम

.....
निर्वाचक नामावली का भाग संख्या
निर्वाचक की क्रम संख्या

तारीख

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त घोषणा तथा उसपर हस्ताक्षर उपर्युक्त निर्वाचक द्वारा मेरे समक्ष किया गया।

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम

तारीख.....

परिशिष्ट VII
(पैरा 43.3 देखें)
दृष्टिविहीन अथवा अशक्त निर्वाचक के साथी की घोषणा

.....विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल)
मतदान केन्द्र की क्रम संख्या एवं नाम.....
मैं.....पुत्र.....आयु.....निवासी.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि -
क) मैंने..... आज किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है, तथा
ख) मैं..... की ओर से मेरे द्वारा दर्ज मत की गोपनीयता रखूँगा/रखूँगी।

साथी का हस्ताक्षर

तारीख.....

*पूरा पता दिया जाना है

+निर्वाचक का नाम, भाग सं. एवं क्रम संख्या।

() समकालीन निर्वाचनों में लोक सभा के निर्वाचन के मामले में भरा जाना है।

परिशिष्ट VIII
प्ररूप 17ग
(पैरा 26.1)
(नियम 49ध तथा 56ग (2) देखें)

भाग I दर्ज मतों का लेखा

क्रम सं.निर्वाचन क्षेत्र से.....लोक सभा या विधान सभा के लिए निर्वाचन मतदान केन्द्र सं एवं नाम
.....

मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान सं

कंट्रोल यूनिट सं.....

बैलटिंग यूनिट सं.....

प्रिंटर (यदि प्रयुक्त हो)

1. मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाताओं के रजिस्टर में यथादर्ज मतदाताओं की कुल सं - (प्ररूप 17क)
3. नियम 490 के अधीन मत न डालने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या
4. नियम 49ड के अधीन मतदान की अनुमति न दिए गए मतदाताओं की संख्या
5. नियम 49डक (घ) के अधीन दर्ज कुल मत जिन्हें हटाया जाना अपेक्षित है-

(क) घटाए जाने हेतु मतों की कुल संख्या:

कुल संख्या: प्ररूप 17क में निर्वाचकों की क्रम संख्या

.....

(ख) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) जिनके लिए जांच मत डाला गया/डाले गए: क्रम संख्या
अभ्यर्थी का नाम मतों की संख्या

.....

6. वोटिंग मशीन के अनुसार दर्ज मतों की कुल संख्या
7. क्या मद 5 के सामने यथाप्रदर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथाप्रदर्शित मतों की कुल संख्या घटा मत 3 के सामने यथाप्रदर्शित मतदाताओं जिन्होंने मत न दर्ज करने का निर्णय लिया की संख्या घटा मद 4 (2-3-4) के मुकाबले मतदाताओं की संख्या से मेल खाती है अथवा कोई विसंगति देखी गई है
8. मतदाताओं जिन्हें नियम 49 त के अधीन निविदत्त मत पत्र जारी किए गए, की संख्या
9. निविदत्त मत पत्रों की संख्या क्र. सं. से तक
(क) इस्तेमाल के लिए प्राप्त
(ख) निर्वाचकों को जारी
(ग) अप्रयुक्त एवं वापिस किया गया

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

10. कागजी मुहरों का लेखा

कुल सं.....

1

1. प्रयोग हेतु प्रदत्त कागजी मुहरें

क्रम सं..... से.... तक

2

.....

.....

2.	प्रयुक्त कागजी मुहरें	कुल सं.....	3
		क्रम सं..... से... तक	4
3.	रिटर्निंग आफिसर को वापिस की गई अप्रयुक्त कागजी मुहरें	कुल सं.....	5
		क्रम सं..... से... तक	6
4.	क्षतिग्रस्त कागजी मुहरें, यदि कोई हो	कुल सं.....	7
		क्रम सं..... से... तक		

तारीख

स्थान

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग II
मतगणना का परिणाम

अभ्यर्थी की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित मतों की संख्या	मद 5 भाग I के अनुसार घटाए जाने वाले जांच मतों की संख्या	वैध मतों की संख्या(3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एन	नोटा			
कुल				

क्या ऊपर प्रदर्शित मतों की कुल संख्या भाग II की
मद 6 के सामने प्रदर्शित मतों की कुल संख्या से मेल खाती है
अथवा दोनों योगों में कोई विसंगति देखी गई है:

हां, मेल खाती है।

स्थान

तारीख

मतगणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता	पूरा हस्ताक्षर
1	
2	
3	
4	
5	
6	

स्थान

तारीख

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

परिशिष्ट IX
(पैरा 20.3)
छदम मतदान प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंनेविधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (अथवा.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अधीनविधान सभा क्षेत्र) के मतदान केन्द्र सं.- में पीठासीन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करते हुए आज, मतदान दिन अर्थात्कोबजे प्रातः छदम मतदान संचालित किया। छदम मतदान में कुल.....मत डाले गए और छदम मतदान के पश्चात् मैंने सावधानीपूर्वक मेमोरी हटा दी और मेमोरी हटाने के बाद कुल प्रदत्त मत “शून्य” प्रदर्शित हुआ।

क. छदम मतदान के समय अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मतदान अभिकर्ताओं जिनके सामने अभ्यर्थियों के नाम हैं; में से निम्नलिखित उपस्थित थे तथा मैंने उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं।

ख. छदम मतदान के समय निर्वाचन लड़ रहे केवल एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। दस मिनट और प्रतीक्षा करने के बाद मैंने....पर अन्य मतदान कार्मिकों के साथ छदम मतदान संचालित किया। मैंने छदम मतदान के समय उपस्थित अभिकर्ता के नाम का अभ्यर्थी के नाम जिसका अभिकर्ता ने प्रतिनिधित्व किया सहित उल्लेख किया है। (यदि कोई अभिकर्ता उपस्थित न हुआ हो तो यह उल्लेख किया जाएगा-।। “छदम मतदान के समय कोई मतदाता अभिकर्ता उपस्थित नहीं था”)

अभिकर्ता का नाम	अभ्यर्थी का नाम	अभिकर्ता का हस्ताक्षर
-----------------	-----------------	-----------------------

तारीख:

समय:

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर